लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 07 दिसंबर, 2022/ 16 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 193

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री मुलायम सिंह यादव, वर्तमान लोकसभा के सदस्य तथा ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री झड़ू सुंदर लाल, चौथी लोक सभा के सदस्य; श्री देबी घोषाल, आठवीं लोक सभा के सदस्य; श्री रूपचन्द पाल, सातवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री गोविन्द चन्द्र नस्कर, पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री थान सिंह जाटव, नौवीं लोक सभा के सदस्य; श्री माणिकराव एच. गावीत, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य; श्रीमती जयंती पटनायक सत्रहवीं, आठवीं और बारहवीं लोक सभा की सदस्य; और श्री जी. कृष्णा, नौवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

3. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख किए जाने के बाद मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी, अत: तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई[$]

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारत के 1 दिसंबर, 2022 से जी-20 देशों के समूह का अध्यक्ष बनने पर केंद्र सरकार और सभी देशवासियों को बधाई दी।

अपराह्न 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड, स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा

[$] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-:

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज छूट (संशोधन) नियम, 2022 जो 7 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 860 (अ) जो 16 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (4) और (5) के परंतुकों और धारा 10ख उप-धारा (3) और (4) के परंतुकों के अंतर्गत केंद्र सरकार की शक्तियां डॉ. वीणा कुमारी डर्मल, संयुक्त सचिव द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी और उन्हें ''अभिहित अधिकारी'' के रूप में जाना जाएगा, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेंटर फॉर मेटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मेटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित

पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हैंडिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 25 की उप-धारा 3 और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत जारी जूट बैग्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 जो 6 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2601(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 2619(अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 5421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और सामान्य संवर्ग पद), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2021 जो 4 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वस्त्र मंत्रालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 312 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 2322 (अ) जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1676 (अ) जो 6 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ. 611(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 1675 (अ) जो 6 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटीरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटीरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, कार्यकारी निदेशक भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 7 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1699(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, प्रबंध निदेशक भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 22 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 594 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, सचिव भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 7 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1700(अ) में प्रकाशित हुए थे।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बिद्युत बरन महतो ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति की 'अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 318वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1)* विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) की ओर से 'भारत की विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम' के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित

* अपराह्न 3.41 बजे से 3.57 बजे तक दिया।

अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 360वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

8. तंबाकू बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल **ने** निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन तंबाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराह्न 12.54 बजे**

9. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री उत्तम कुमार नलमाडा रेड्डी ने तेलंगाना में 4 कोल ब्लॉकों की कथित नीलामी के बारे में निवेदन किया।

@श्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 12.59 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

* अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 12.59 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

@ संसदीय कार्य मंत्री: कोयला मत्री: तथा खान मंत्री।

अपराह्न 2.02 बजे

10. सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री मनीश तिवारी, श्री अधीर रंजन चौधरी, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, प्रो. सौगत राय और श्री टी.आर. बालू ने विधेयक के पुर:स्थापन का बिरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री: तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने गृह मंत्री: तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सदस्य द्वारा पूछे गये स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 2.26 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री गौरव गोगोई ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत निधियों के आबंटन के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री रोडमल नागर ने राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक महत्व के स्थानों को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल तथा विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) प्रो.सौगत राय ने मनरेगा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को बकाया राशि जारी करने के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी ने 'बॉम्बे उच्च न्यायालय' का नाम बदलकर 'महाराष्ट्र उच्च न्यायालय' करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री राहुल कस्वां ने राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई के आधार पर बीमा दावा जारी करने के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री राजेश वर्मा ने सीतापुर और लखनऊ के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री गणेश सिंह ने दो राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाले सतना से प्रयागराज तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की संस्वीकृति की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री खगेन मुर्मू ने मालदा हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाए जाने के बारे में मामला उठाया।

(9) श्रीमती संध्या राय ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(10) सुश्री दीया कुमारी ने कुंभलगढ़ और रणथंभौर किले में दिव्यांग्जनों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में मामला उठाया।

(11) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ने पश्चिमी ओडिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस्त जारी करने के बारे में मामला उठाया।

(12) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे ने महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में केले की खेती करने में हानि वहन करने वाले किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री सुमेधानन्द सरस्वती ने साइबर प्लेटफॉर्मों पर अनधिकृत ऋण एप्लिकेशनों को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक-निम्बालकर ने 'नमामि चंद्रभागा' परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में मुला मुथा नदी का पुनरूद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री अर्जुनलाल मीणा ने उदयपुर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हेतु पर्याप्त भूमि आवंटन के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री बृजेंद्र सिंह ने हिसार और चंडीगढ़ के बीच सीधे रेल संपर्क के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री राजमोहन उन्नीथन ने एलआईसी के लिए आईआरडीएआई के प्रारूप प्रस्ताव के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री टी.एन. प्रथापन ने त्रिशूर में मंदिर कला शोध संस्थान की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

(19) डॉ. गौतम सिगामणि पोन ने सलेम और उलुंदुरपेट्टई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 79 का निर्माण कार्य पूरा करने में तेजी लाए जाने के बारे में मामला उठाया।

(20) श्री कनुमुरु रघु राम कृष्ण राजू ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में मामला उठाया।

(21) श्री विनायक राऊत ने देश में मछुआरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(22) श्री महाबली सिंह ने अनुग्रह नारायण मार्ग-सिरिस-चरण-मंझिआंव सड़क के खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(23) श्री महेश साहू ने ओडिशा के ढेंकानाल जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

(24) श्री श्याम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश और बिहार में उर्वरक की कमी के बारे में मामला उठाया।

(25) श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी ने निर्यात नीति में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(26) श्रीमती सुप्रिया सुले ने नवाले पुल, नरहे, पुणे पर बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(27) डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी ने केरल में कोझिकोड हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पूरा किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(28) श्री सुब्रत पाठक ने सीजीएचएस सूची में ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी के उपचार को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

***अपराह्न 3.57 बजे**

12. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019

आबंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 2 घंटा 04 मिनट

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. डॉ. टी सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन
5. श्री रेड्डप्प एन. गरि
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. श्री कल्याण बनर्जी
8. डॉ. आलोक कुमार सुमन
9. कुँवर दानिश अली
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
12. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
13. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

चर्चा पूरी नहीं हुई।

* अपराह्न 3.16 बजे से अपराह्न 3.41 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 08 दिसम्बर, 2022/ 17 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 194

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने महामहिम एडवोकेट जैकब फ्रांसिस न्जिवडामिलिमो मुडेंडा, जिम्बाब्वे गणराज्य की संसद के अध्यक्ष और जिम्बाब्वे के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों, जो सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर थे, के स्वागत की घोषणा[†] की।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 26 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं. 27 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (संयोजकता और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022, जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

[†] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

संस्करण)।

(3) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, जम्मू के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, जम्मू के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) डीएनएच एण्ड डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड), सिल्वासा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डीएनएच एण्ड डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड), सिल्वासा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 385 (अ) जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए, उसमें उल्लिखित विभिन्न उपयोगों/स्थानों के लिए देय प्रीमियम की पूर्व-निर्धारित दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखी:-

(1) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 20 जुलाई, 2022 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयक सभा पटल पर रखे:-

1. भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022;
2. सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022;
3. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2022;
4. कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022; और
5. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

6. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री नायब सिंह ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(एक) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन' के बारे में 36वां प्रतिवेदन*।

(दो) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'मानव निर्मित फाइबर का विकास' के बारे में 37वां प्रतिवेदन*।

7. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

* प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क (1) के अंतर्गत 5 सितम्बर, 2022 को माननीय अध्यक्ष को तब प्रस्तुत किए गए, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

संबंधी 9वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)' के बारे में 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का आलोचनात्मक मूल्यांकन' के बारे में 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 22वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 23वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दुष्यंत सिंह ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन[#] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

(1) 'रेल संरक्षा आयोग' संबंधी 323वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारत में खोजे न गए स्मारकों तथा स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे' संबंधी 324वां

[#] ये प्रतिवेदन 15 जून, 2022 को राज्य सभा के माननीय सभापति को तब प्रस्तुत किये गये थे, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को भी अग्रेषित किए गए थे। राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा प्रतिवेदनों के प्रकाशन और परिचालन के लिए आदेश दिए गए।

प्रतिवेदन।

(3) 'सड़क क्षेत्र से संबंधित मुद्दे' संबंधी 325वां प्रतिवेदन।

(4) 'भारत में पर्यटन की वृद्धि के लिए भारतीय मिशनों की वैश्विक भूमिका' संबंधी 326वां प्रतिवेदन।

(5) 'पत्तनों पर कनेक्टिविटी और पर्यटक टर्मिनल सुविधाओं' संबंधी 327वां प्रतिवेदन।

9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. महेश शर्मा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(1) वैक्सीन विकास, वितरण प्रबंधन और वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रशमन के बारे में 137वां प्रतिवेदन।

(2) चिकित्सा उपकरण: विनियम और नियंत्रण के बारे में 138वां प्रतिवेदन।

(3) कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन: निवारण, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता के बारे में 139वां प्रतिवेदन।

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों 2022-23 (मांग संख्या 46) के बारे में 134वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 140वां प्रतिवेदन।

(5) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2022-23 (मांग संख्या 47) के बारे में 135वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 141वां प्रतिवेदन।

(6) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2022-23 (मांग संख्या 4) के बारे में 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 142वां प्रतिवेदन।

@10. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रघु राम कृष्ण राजू कानुमुरु ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से संबंधित पेंशनरों की शिकायतें - पेंशन अदालतों तथा केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) के प्रभाव के बारे में समिति के 110वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 120वां प्रतिवेदन।

(2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 113वें प्रतिवेदन पर की-

---

* ये प्रतिवेदन राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किये गये थे और 12 सितम्बर, 2022 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को भी अग्रेषित किए गए थे।

@ अपराह्न 12.07 बजे।

गई-कार्रवाई संबंधी 121वां प्रतिवेदन।

(3) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 112वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 122वां प्रतिवेदन।

(4) न्याय विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 116वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 123वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित '175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

12. प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. सुभाष सरकार ने श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[$]अपराह्न 12.06 बजे

13. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) की परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. सुभाष सरकार ने श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री सत्यदेव पचौरी ने ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के लाल इमली मिल, कानपुर के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्रीमती रीती पाठक ने सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस और सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस को दैनिक आधार पर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री राम कृपाल यादव ने बिहार के पटना जिले के बिहटा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री चुन्नीलाल साहू ने छत्तीसगढ़ में नाशकजीव के प्रकोप से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री सुनील कुमार सोनी ने देश में आदिवासी लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

[$] अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्रीमती केशरी देवी पटेल ने प्रयागराज और दिल्ली के बीच उड़ान सेवाओं को शुरू करने और प्रयागराज हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं और कार्गो सेवाओं को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री दिलीप शइकीया ने सीबीएसई पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी पुस्तकों में असम के महान योद्धा लचित बोरफुकन की जीवनी को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री मनोज कुमार तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) संसदीय क्षेत्र के करावल नगर में नालों की सफाई किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में खेल सुविधा विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री रामदास सी. तडस ने खुले खाद्य तेल की बिक्री को सुगम बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्रीमती रंजीता कोली ने राजस्थान के भरतपुर संसदीय क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के बारे में मामला उठाया।

(12) श्रीमती रमा देवी ने कार्यस्थल पर मरने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री छेदी पासवान ने शहीद निशान सिंह के नाम पर बिहार के रोहतास जिले में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री निशिकांत दुबे ने खेतौरी, घटवाल-घटवार और कुछ अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री के. मुरलीधरन ने प्रस्तावित कोईलैंडी-मैसूर रेल लिंक का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री जगदम्बिका पाल ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों के आकलन और उन्हें मुआवजा प्रदान किए जाने के लिए एक केंद्रीय दल भेजने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश ने नेमोम, केरल में रेलवे कोचिंग टर्मिनल परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में मामला उठाया।

(18) डॉ. शशि थरूर ने दक्षिण केरल तटरेखा के साथ-साथ तटीय अपरदन के बारे में मामला उठाया।

(19) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापांडियन ने वेलाचेरी से सेंट थॉमस माउंट तक चेन्नई-एमआरटीएस के विस्तार में तेजी लाए जाने के बारे में मामला उठाया।

(20) श्रीमती चिंता अनुराधा ने केवल महिलाओं हेतु आरक्षित शयनयान श्रेणी की विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने के बारे में मामला उठाया।

(21) श्रीमती प्रतिमा मंडल ने कैनिंग रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(22) श्री सदाशिव किसान लोखंडे ने महाराष्ट्र में सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल मार्ग को मोड़ने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(23) श्री अजय कुमार मंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 के मरम्मत कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(24) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने पोंडुरु खादी के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के बारे में मामला उठाया।

(25) श्री पी.आर. नटराजन ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बीमा सुगम एक्सचेंज प्रस्ताव के बारे में मामला उठाया।

(26) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी ने झारखंड में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के वेस्टर्न वाशरी जोन के तहत दुग्धा और महुदा कोल वाशरी को कच्चा कोयला उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(27) श्री नव कुमार सरनीया ने उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 2.57 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत्य समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 06 घंटा 16 मिनट

श्री गौरव गोगोई द्वारा भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में 31 मार्च, 2022 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
2. श्री सुमेधानंद सरस्वती
3. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
4. श्री रवि किशन शुक्ला
5. श्री बी. बी. पाटिल
6. श्री मनोज कुमार तिवारी
7. श्रीमती नवनित रवि राणा
8. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
9. श्री मलूक नागर
10. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
12. श्री गुरजीत सिंह औजला
13. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
14. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
15. श्रीमती जसकौर मीना

16* श्री एस. ज्ञानतिरावियम

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

17. श्री भरत राम मारगनी

18. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि

19. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

20. श्री अब्दुल खालेक

21. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

22. श्री मुनियन सेल्वराज

23. श्रीमती सुनीता दुग्गल

24. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु

25. श्री सय्यद ईमत्याज जलील

26. डॉ एस. टी. हसन

27. श्री सौमित्र खान

28. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

29. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़

30. श्री मौलाना बदरुद्दीन अजमल

31. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे (भाषण पूरा नहीं हुआ)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022/ 18 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 195

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 47 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं. 48 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) मुम्बई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुम्बई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) मुम्बई पत्तन प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुम्बई पत्तन प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मुम्बई पत्तन प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) मुम्बई पत्तन प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 जो 26 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 661(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 अगस्त, 2022 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 650(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेना वेतन (संशोधन) नियम, 2019 जो 20 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 05(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुसेना वेतन (संशोधन) नियम, 2019 जो 20 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 07(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वायुसेना के गैर-युद्धक (नामांकित) (संशोधन) नियम, 2021 जो 2 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 184 के अंतर्गत नौसेना वेतन (संशोधन) विनियम, 2019 जो 20 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 06(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 जो 11 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना सं. का.आ. 5249(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा(3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2022, जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 592(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) पहला संशोधन विनियम, 2022, जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/एसपी(एलएण्डसी/ए))तेल दावे/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) दूसरा संशोधन विनियम, 2022, जो 5 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी/प्रतिनिधित्व-एमएसईओ/एफएसएसएआई-2021 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) पहला संशोधन विनियम, 2022, जो 1 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/03/अधिसूचना(आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017 (भाग-3) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) दूसरा संशोधन विनियम, 2022, जो 12 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/एसपी-08/ए-1-

2020/एन-01 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2022, जो 14 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.1-116/वैज्ञानिक समिति/अधि.28.4/2010-एफएसएसएआई(2) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) दूसरा संशोधन विनियम, 2022, जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडी/एसपी-20/टी(प्रवासन-एन) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (नवजात शिशु पोषण के लिए भोजन) पहला संशोधन विनियम, 2022, जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडी/एसपी-05/टी(आईएफआर-01) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) पहला संशोधन विनियम, 2022, जो 9 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडी/एसपी-08/ए-1.2021/एन-01 में प्रकाशित हुए थे।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक

सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

महिला और बाल विकास मंत्री**;** तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित महिलाओं की सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में विभाग से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 316वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 326वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 333वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित महिलाओं की सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 334वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 338वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.07 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 12 दिसम्बर, 2022 से प्रारंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

8. केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के लिए दो महिला सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. मनसुख मांडविया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - पहला बैच को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

[*]**अपराह्न 12.10 बजे**

11. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022

(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022

(तीन) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022

(चार) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022

(लोक सभा अपराह्न 1.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.09 बजे पुनः समवेत हुई)

[*] अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 1.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.09 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में ट्रॉमा केयर यूनिट की स्थापना किए जाने हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में हिली बार्डर पर 'बॉर्डर हाट' खोले जाने के बारे में।

(4) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा सीतापुर संसदीय क्षेत्र में समपारों पर रेलवे उपरि पुल और अधोगामी पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

(5) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा देश में अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा महाराष्ट्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।

(7) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के बारे में।

(8) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा में बीजों और उर्वरकों की कमी की गंभीरता का आकलन करने हेतु केंद्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा हिसार जिले के उलकाना से सिरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नरवाना तक नई रेल लाइन की स्थापना किए जाने के बारे में।

(11) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत नंदूरबार से सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किए जाने के बारे में।

(13) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखंड में कोनार नदी का पुनरुद्धार किए जाने के बारे में।

(14) डॉ. जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी द्वारा सोलापुर और मुंबई के बीच 'वंदे भारत एक्सप्रेस' शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा केंदू (तेंदू) के पत्तों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) को वापस लिए जाने के बारे में।

(16) श्रीमती राम्या हरिदास द्वारा एलआईसी के संबंध में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के प्रस्ताव का कार्यान्वयन किए जाने के बारे में।

(17) श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत अतिरिक्त राशि प्रदान किये जाने के बारे में।

(18) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा चेन्नई और तिरुवन्नामलाई के बीच दैनिक आधार पर सीधी ट्रेन सेवा बहाल किए जाने के संबंध में।

(19) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुंडासरी नदी पर कंक्रीट पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

(20) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा लोनावाला और पुणे के बीच लोकल ट्रेनों का परिचालन बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा सहरसा से पटना के बीच पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा सहारा इंडिया की जमा योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों की धनराशि की प्रतिपूर्ति के बारे में।

अपराहन 2.10 बजे

13. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत्य समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 8 घंटा 06 मिनट

श्री गौरव गोगोई द्वारा भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में 31 मार्च, 2022 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री हनुमान बेनीवाल
3. श्री रितेश पाण्डेय
4. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
5. श्री संजय सेठ
6. श्रीमती रमा देवी
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री फैज़ल पी.पी. मोहम्मद
10. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य का रेल (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 11क का अंतःस्थापन)
2. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 43क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
3. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 (धारा 75 का संशोधन)
4. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का रेल की पटरियों के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण विधेयक, 2022
5. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता (जल-निकायों का संरक्षण) विधेयक, 2022
6. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का ओषधि (कीमत नियंत्रण) विधेयक, 2022
7. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक 2022 (नए अनुच्छेद 44क और 51क

का अंतःस्थापन)

8. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धाराओं 379क और 379ख का अंतःस्थापन)

9. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 326क और 326ख का संशोधन)

10. श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य का विधवाएं (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2022

11. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (दसवीं अनुसूची का लोप)

12. श्री हिबी ईडन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)

13. श्री हिबी ईडन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 81 का संशोधन, आदि)।

14. श्री मनीश तिवारी, संविधान (संशोधन) विधेयक, संसद सदस्य का 2022 (अनुच्छेद 324 का संशोधन, आदि)।

15. श्री प्रद्युत बोरदोलोई, संसद सदस्य का जलवायु प्रवासी (संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2022

16. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)

17. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 20 और 20क का संशोधन)

18. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का ऋण राहत बोर्ड विधेयक, 2022

19. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 338ग का अंतःस्थापन)

20. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य का राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

21. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य का न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2022

22. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 2 और 3 का संशोधन)

23. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 124क का लोप, आदि)

24. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुसूची-I का संशोधन)

25. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथ बालकों के लिए आवास सुविधा विधेयक, 2022

26. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का तमिलनाडु राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022

27. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का इंटरनेट शटडाऊन निवारण विधेयक, 2022

28. श्री थोमस चाज़िकाडन, संसद सदस्य का वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 8 का संशोधन, आदि)

29. श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य का असैनिक पुरस्कार (सिफारिश समिति) विधेयक, 2019

30. श्री तीरथ सिंह रावत, संसद सदस्य का वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2020 (नई धाराओं 3ग और 3घ का अंतःस्थापन)

31. श्री तीरथ सिंह रावत, संसद सदस्य का वन्य जीव-जंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2020

32. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर, संसद सदस्य का कृषि और अन्य ग्रामीण कर्मकार (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2022

33. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर, संसद सदस्य का अन्तरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2022

34. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर, संसद सदस्य का एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2022

35. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 86 का संशोधन)।

36. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य का पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (नई धारा 3क का अंतःस्थापन)

37. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य का भारत में प्रादेशिक घुसपैठ में संलिप्त देशों पर प्रतिबंध विधेयक, 2022

38. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2022

(नई धारा 3क का अंतःस्थापन)

39. श्री डी.एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य का प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2022

40. श्री डी. एम. कथीर आनन्द, संसद सदस्य का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

41. श्री डी. एम. कथीर आनन्द, संसद सदस्य का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धाराओं 10क और 10ख का अंतःस्थापन)

42. श्री कुँवर दानिश अली, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 58 का संशोधन, आदि)

43. श्री जगदम्बिका पाल, संविधान (संशोधन) विधेयक 2021 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

44. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 3 का संशोधन)

45. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक 2022 (अनुच्छेद 348 का संशोधन)

46. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का कलाकार (सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2019

47. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का मानसिक विमन्दित बालक (कल्याण) विधेयक, 2019

48. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019

49. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य का राष्ट्रीय महिला किसान कल्याण आयोग विधेयक, 2021

50. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य का साइकिल चालन संवर्धन विधेयक, 2021

51. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 12 का संशोधन)

52. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्या का निवारण विधेयक, 2022

53. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का यातना निवारण विधेयक, 2022

54. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य का नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

55. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 80 का

संशोधन, आदि)

56. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 3च का अंतःस्थापन, आदि)

57. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 21 का संशोधन)

58. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 7 का संशोधन)

59. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 9क का अंतःस्थापन, आदि)

अपराह्न 4.40 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - विचाराधीन

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 29कक का अंतःस्थापन)

श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा 5 अगस्त, 2022 को विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी ने अपना भाषण आगे जारी रखा।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री भर्तृहरि महताब
2. श्री अब्दुल खालेक
3. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
4. कुँवर दानिश अली

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.03 बजे

(लोक सभा सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/ 21 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 196

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 67 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं. 68 से 73 और 75 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 13 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी091 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 13 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-

23/जीएन/आरईजी092 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी093 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी094 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी095 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2022 जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी096 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी097 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना यूटीलिटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी098 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी099 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक एजेंसियों की मॉडल उप-विधियां और शासी मंडल) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 3 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी100 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक एजेंसियों की मॉडल उप-विधियां और शासी मंडल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 31 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी101 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 104/42/लेखा-1(क)आमुख जो 27 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 42वें वार्षिक प्रतिवेदन और समग्र लेखों के लेखापरीक्षित विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव

संस्थान के गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड में सरकारी नामनिर्देशिती की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 668(अ) जो 30 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 22क के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकरण में सदस्य (सरकारी नामनिर्देशिती) के नाम-निर्देशन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/73/2022 जो 29 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लेखापरीक्षित लेखों और संस्थान की परिषद के 73वें वार्षिक प्रतिवेदन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का. नि. 748(अ) जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड में सरकारी नामनिर्देशितियों के नाम-निर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा.का. नि. 856(अ) जो 29 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड में सरकारी नामनिर्देशितियों के नाम-निर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(7) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. जी/20-सीडब्ल्यूए/9/2022 जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान के लेखापरीक्षित लेखों और संस्थान की परिषद के 63वें वार्षिक प्रतिवेदन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 4649(अ) जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 638(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का. आ. 4648(अ) जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या का. आ. 83(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का. आ. 4650(अ) जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का. आ. 5494(अ) जो 24 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

8 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1242(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का. आ. 5495(अ) जो 24 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) (एक) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सीमा-शुल्क प्राधिकरण के लिए अग्रिम विनिर्णय (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 599(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 670(अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उन विनिर्दिष्ट एयरलाइनों के नाम को अद्यतन करने के बारे है जो वितरण के लिए नि:शुल्क प्रचार सामग्री जैसे कुछ विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर संपूर्ण आधारभूत सीमा शुल्क और एकीकृत कर से छूट का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 676(अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 48/2021 और 49/2021 - सीमा शुल्क, दोनों दिनांक 13.10.2021 का संशोधन करना है ताकि निर्दिष्ट खाद्य तेलों पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क का 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 687(अ) जो 7 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 56/2000 - सीमा शुल्क, दिनांक 05 मई, 2000 में संशोधन करना है जिससे कि दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी आईजीसीआर नियमावली को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 688(अ) जो 7 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 57/2000 - सीमा शुल्क, दिनांक 08 मई, 2000 में संशोधन करना है जिससे कि दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी आईजीसीआर नियमावली को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 689(अ) जो 8 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 09 सितम्बर, 2022 से चावल के विनिर्दिष्ट प्रकार पर निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची का संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 730(अ) जो 27 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रविष्टि 404 के अनुरूप सूची 33 में कतिपय परिवर्तन के लिए अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 736(अ) जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 25/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 31.03.2021 का संशोधन करना है जिससे कि भारत-मारिशस बृहद आर्थिक सहयोग एवं सहभागिता करार के अनुसार 'स्पेशियलिटी शुगर' पर संशोधित टीआरक्यू विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 759(अ) जो 3 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित, प्लेटिनम के आयातों पर सीमा-शुल्क दर में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 760(अ) जो 3 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित, प्लेटिनम के आयातों पर एआईडीसी दर में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2022 जो 19 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 783(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सा.का.नि. 796(अ) जो 31 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित, विहित शर्तों के अध्यधीन चावल की विनिर्दिष्ट किस्मों से निर्यात शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 798(अ) जो 1 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन करना है ताकि क्रम सं. 404 की प्रविष्टि में कतिपय परिवर्तन किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 822(अ) जो 17 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राज्य के राज्यपाल द्वारा आयातित मोटर कार के लिए बुनियादी सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 827(अ) जो 18 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन करना है ताकि विशिष्ट आयरन ओर और स्टील उत्पादों पर से निर्यात शुल्क हटाया/कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 828(अ) जो 18 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि एन्थ्रासाइट और पीसीआई कोयला, कोक एवं सेमी कोक और फेरोनिकेल पर बीसीडी छूट को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 829(अ) जो 18 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 11/2021-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि एन्थ्रासाइट और पीसीआई कोयला और कोकिंग कोल पर एआईडीसी छूट को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 698(अ) जो 14 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की वसूली के लिए देयता को केवल निर्यातक के लिए सीमित किया जाए, न कि आरओडीटीईपी योजना के तहत ई-स्क्रिप के अंतरिती या खरीदार के लिए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 699(अ) जो 14 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों की छूट के लिए योजना (आरओएससीटीएल) के तहत अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की वसूली के लिए देयता को केवल निर्यातक के लिए सीमित किया जाए, न कि आरओएससीटीएल योजना के तहत ई-स्क्रिप के अंतरिती या खरीदार के लिए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.616(अ) जो 3 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात में मूलत: उत्पादित या वहां से

निर्यातित ''ओपल ग्लासवेयर'' के भारत में आयात पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को डीजीटीआर की अनुशंसा के आधार पर 5 वर्षों की अवधि के लिए और आगे भी बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.637(अ) जो 18 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित 'युर्सोडोक्सीकॉलिक एसिड (यूडीसीए)' के आयात पर उसमें उल्लिखित अवधि के लिए अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.675(अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 दिसंबर, 2022 जिसमें यह तिथि भी शामिल है, तक नेपाल और बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.716(अ) जो 21 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ''एचएफसी कम्पोनेंट आर-32'' पर प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने से संबंधित अधिसूचना सं. 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 में संशोधन करना है जिससे कि उत्पादक का नाम ''झेजियांग क्यूझो जक्सिन फ्लोरिन केमिकल कं.लि. का नाम बदलकर ''झेजियांग क्यूहुआ फ्लूओर केमिस्ट्री कं.लि.'' किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.717(अ) जो 21 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर के द्वारा जारी सनसेट रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ''टाल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई)'' पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.782(अ) जो 19 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर के द्वारा जारी किए गए उनके नए अंतिम परिणामों के अनुसरण में कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ''इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील'' के आयात पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.787(अ) जो 21 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाइलैंड में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'सभी रूपों में सेक्रीन' के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जा सके ताकि अधिसूचना सं. 2/2019-सीमाशुल्क (सीवीडी), दिनांक 30.08.2019 द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित

'सभी रूपों में सेक्रीन' के आयात पर लगने वाले प्रतिकारी शुल्क के सर्कमवेंशन को रोका जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 641 (अ) जो दिनांक 18 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 642 (अ) जो दिनांक 18 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 671 (अ) जो दिनांक 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर शुल्क को संशोधित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 672 (अ) जो दिनांक 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 673 (अ) जो दिनांक 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 674 (अ) जो दिनांक 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 10/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 706 (अ) जो दिनांक 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 707 (अ) जो दिनांक 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए 19

जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 753 (अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा असंमिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की तिथि बढ़ाने के लिए 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 755 (अ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 756 (अ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 779 (अ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 780 (अ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 799 (अ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कम करने के लिए और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 800(अ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 820(अ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 821(अ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे

तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर (संशोधन) विनियम, 2022 जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 705(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5450(अ) जो 23 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 01.12.2022 से प्रभावी सीजीएसटी एक्ट, 2017 के अंतर्गत गैर-लाभकारी मामलों पर कार्रवाई के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सशक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 843(अ) जो 23 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.12.2022 से प्रभावी सीजीएसटी नियमों में चौथा संशोधन (2022) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 612(अ) जो 1 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01 अक्तूबर, 2022 से 10 करोड़ रुपये से अधिक सकल कारोबार वाले करदाताओं के लिए ई-इनवॉयसिंग कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 4569(अ) जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2022 की धारा 110 के खंड(ग) और धारा 111 के सिवाय धारा 100 से 114 के उपबंधों के प्रभावी होने की तारीख के रूप में 01.10.2022 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा) संशोधन नियम, 2022 जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 735(अ) जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. 20/2018-सीटी को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 740(अ) जो 29 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 28 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.735(अ) का एक शुद्धिपत्र निहित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 786(अ) जो 21 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सितम्बर, 2022 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1802 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) योजना, 2022 जो 22 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 837 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीय बचत सावधि (संशोधन) योजना, 2022 जो 22 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2022 जो 22 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 839 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2022 जो 22 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) की ओर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2022 जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फ़ाइल.सं. एनसीटीई-आरईजीएल./022/5/2021-ओ/ओ.डीएस(रेगुलेशन)-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीसिटी, चित्तूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीसिटी, चित्तूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सेनापति के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सेनापति के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सेनापति के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) औरोविल्ले फाउंडेशन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औरोविल्ले फाउंडेशन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोयडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोयडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोयडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंन संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, संबलपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, संबलपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(31) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(37) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापटनम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापटनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(38) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(39) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(40) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(41) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(44) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ, नई दिलली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) तनावग्रस्त आस्तियां स्थिरीकरण निधि, मुंबई के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 52वां मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17-क की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों का युक्तिकरण और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 2022 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या का.आ.4896(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (विकास स्टाफ के वेतनमानों का युक्तिकरण और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 2022 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4897(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ के वेतनमानों का युक्तिकरण और समीक्षा तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 2022 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4898(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(9) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (निर्धारित अंशदायी नई पेंशन) [संशोधन] विनियम, 2022 जो दिनांक 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीवी सं. एल001268839/स्टाफ. 35बी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन [संशोधन] विनियम, 2022 जो दिनांक 18 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीवी सं. एल001278933ए/स्टाफ. जीईएन(2) में प्रकाशित हुए थे।

(10) ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.4717(अ), का.आ.4718(अ) और का.आ.4719(अ), जो 4 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित मौजूदा ऋण वसूली अधिकरणों के स्थान में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उप-धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन योजना, 2022 जो दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.5381(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन योजना, 2022 जो दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.5382(अ) में प्रकाशित हुई थी।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 8 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में, राज्यसभा लोकसभा द्वारा यथापारित वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. विदेशी मामलों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति : संभावनाएं और सीमाएं' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के 'अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय के 'एक्लव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

***अपराह्न 12.05 बजे**

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई)

* अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.03 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

1) श्री संजय भाटिया ने हरियाणा के करनाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों को कोयले से चलने वाले बॉयलरों पर संचालन जारी रखने की अनुमति देने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

2) श्री छेदी पासवान ने बिहार के सासाराम में विमानपत्तन के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

3) श्री बिद्युत बरन महतो ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय के बकाए के भुगतान के बारे में मामला उठाया।

4) श्री संजय सेठ ने देश में अंधविश्वास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

5) डॉ. चन्द्रे सेन जादौन ने उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो को फिरोजाबाद जिला मुख्यालय तक विस्तारित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

6) श्री तपन कुमार गोगोई ने असम के जोरहाट में हुल्लोंगापार गिब्बन अभयारण्य में रेलवे ट्रेक के ऊपर बने पुल को चौड़ा किए जाने के बारे में मामला उठाया।

7) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ने संस्कृत को 'राष्ट्रीय भाषा' घोषित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

8) श्री गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के दरभंगा में एम्स की स्थापना के बारे में मामला उठाया ।

9) श्री मुकेश राजपूत ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होते हुए एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बारे में मामला उठाया ।

10) श्री एस. मुनिस्वामी ने कर्नाटक के मरीकुप्पम और आंध्र प्रदेश के कुप्पम के बीच रेल लाइन की संस्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति के बारे में मामला उठाया।

11) श्री पी.पी. चौधरी ने राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए जनसंख्या मानदंडों में छूट के बारे में मामला उठाया ।

12) श्री खगेन मुर्मु ने पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले में गंगा और फुलहर नदी के कारण हुए भू-अपरदन के बारे में मामला उठाया ।

13) श्री जयंत सिन्हा ने झारखंड में और अधिक संख्या में ट्रॉमा देखभाल सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

14) श्री कनकमल कटारा ने बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्य राजमार्ग संख्या 2 को चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

15) श्री वी.के. श्रीकंदन ने विमानपत्तन विस्तार योजना के अंतर्गत पालक्काड़ को शामिल किए जाने के बारे में मामला उठाया।

16) डॉ. शशि थरूर ने एम्स, नई दिल्ली के आईटी सर्वर पर साइबर हमले के बारे में मामला उठाया।

17) श्री विजयकुमार (उर्फ) विजय वसंत ने कन्यारकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं और रेल की अन्य मांगों के बारे में मामला उठाया ।

18) श्री सी.एन. अन्नादुरई ने तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में पर्यटन के विकास के लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन के बारे में मामला उठाया।

19) श्री मद्दीला गुरूमूर्ति ने तिरूपति में एनटीसी मिल के आधुनिकीकरण के बारे में मामला उठाया।

20) श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तारकेश्वर में नए स्कूल भवन के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

21) श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिम्बालकर ने महाराष्ट्र के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

22) श्री सुनील कुमार ने बिहार के वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

23) श्रीमती मंजुलता मंडल ने भद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धामरा में विशेष ट्रॉमा केयर सेंटर के साथ सौ शैय्या वाले अस्पताल की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

24) श्री रितेश पाण्डेय ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) मशीनों की सुलभता बढ़ाने और देश में हृदय रोग से मरने वाले पीड़ितों को वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में मामला उठाया।

25) श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी ने पर्यटन उद्योग को कर में छूट प्रदान किए जाने के बारे में मामला उठाया।

26) श्री प्रिंस राज ने बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुलों के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

27) श्री सुब्रत पाठक ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इटेली गांव के निकट स्थिमत लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य झील के विकास की योजनाओं के बारे में मामला उठाया।

28) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव ने केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 'धन्वंतरि' की मूर्ति स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.52 बजे

10. (एक) वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच और (दो) वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय: 12 घंटे
लिया गया समय: 3 घंटा 15 मिनट
शेष समय: 8 घंटा 45 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों को चर्चा के लिए एक साथ लिया गया:-

(एक) वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - प्रथम बैच के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 33, 35 से 37, 43 से 56, 58 से 63, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 76 से 79, 85 से 89, 91, 93, 95 से 98 तथा 100 से 102 और;

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 20 और 31

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. डॉ. निशिकांत दुबे
3. थिरू दयानिधि मारन
4. प्रो. सौगत राय
5. श्रीमती शर्मिष्ठा कुमारी सेठी
6. श्री मलूक नागर
7. श्री बी.बी. पाटील
8. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
9. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
10. श्री जयंत सिन्हा
11. श्री जयदेव गल्ला
12. श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद
13. श्री शिवकुमार चनबसप्पा उदासी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.07 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022/ 22 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 197

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा दुःखद घटना के बारे में उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की इक्कीसवीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 को लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 12.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 82 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.07 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, सोनीपत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, सोनीपत के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 64 की उप-धारा (3) और धारा 66 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद पशु-चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक - (पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक - डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 12-5/2015-वीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता और विमान्यता के लिए प्रक्रिया और पशु-चिकित्सा अर्हताएं) नियम, 2017 जो 22 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.489(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 21 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.242(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 1 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा व्यवसायियों के लिए वृत्तिक आचार, शिष्टाचार के मानक और आचार संहिता) विनियम, 1992 जो 1 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.395(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र 1 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 651(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (प्रशुल्क और भत्ते) विनियम, 1992 जो 1 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.394(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सा.का.नि. 456(अ) जो 12 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद नियम, 1985 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम, 1991 जो 12 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.678(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (सामान्य) संशोधन विनियम, 2009 जो 5 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-3/2008-वीसीआई) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता और विमान्यता के लिए प्रक्रिया और पशु-चिकित्सा अर्हताएं) (संशोधन) नियम, 2019 जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.197(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (सामान्य) विनियम, 1991 जो 18 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 694(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1992 जो 24 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.119(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के सेवाओं के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.67(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद नियम, 1985 जो 4 मई, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.458(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन) विनियम, 1995 जो 29 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-2194-वीसीआई/17092 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (राज्य पशु-चिकित्सा संघों के अध्यक्षों में से केंद्रीय सरकार द्वारा एक सदस्य के नाम-निर्देशन की प्रक्रिया) नियम, 2017 जो 14 मार्च, 2017 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.242(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (संशोधन) नियम, 2019 जो 2 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.888(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कॉलीशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉलीशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (रसोई सेवाएं) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 जो 21 अप्रैल, 2022 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.308(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 38 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) योजना, 2021 जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के लक्षद्वीप राजपत्र में अधिसूचना सं. 1/8/2021-यूडी में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (कम्बैटाइज्ड स्टेनोग्राफर काडर), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2022 जो 5 नवम्बर, 2022 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.159(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) राज्यपाल (वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2022 जो 20 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.784(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, महानिदेशालय (अग्निशमन सेवाएं, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स) कैंटीन परिचारक समूह 'ग' भर्ती नियम, 2022 जो 5 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.160(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंर्सोटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंर्सोटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दंड प्रक्रिया (शनाख्त) नियम, 2022 जो 19 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.708(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) (एक) रेप्को बैंक, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेप्को बैंक, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) शिशु शाखा संघ, खोरदा, ओडिशा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु शाखा संघ, खोरदा, ओडिशा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति, सहरसा, बिहार के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति, सहरसा, बिहार के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) रेंजीडेन्शियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड गडवाल, तेलंगाना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेंजीडेन्शियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड गडवाल, तेलंगाना के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सेंट एन्स सोशल सर्विस सोसाइटी, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश के द्वारा संचालित सेंट एन्स मनोविकास केन्द्र, गुंटूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट एन्स सोशल सर्विस सोसाइटी, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश के द्वारा संचालित सेंट एन्स मनोविकास केन्द्र, गुंटूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स' वेलफेअर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स' वेलफेअर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) दृष्टि सामाजिक संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दृष्टि सामाजिक संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) विजय ह्यूमन सर्विसेज, चेन्नई, तमिलनाडु के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विजय ह्यूमन सर्विसेज, चेन्नई, तमिलनाडु के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) ऑल इण्डिया कॉन्फेडरेशन ऑफ़ द ब्लाइंड, गुडगांव, हरियाणा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इण्डिया कॉन्फेडरेशन ऑफ़ द ब्लाइंड, गुडगांव, हरियाणा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) ह्यूमन रिसोर्से डेवेलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ह्यूमन रिसोर्से डेवेलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन (इण्डिया), अहमदाबाद, गुजरात के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन (इण्डिया), अहमदाबाद, गुजरात के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) मानसिक विकास केंद्रम्, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानसिक विकास केंद्रम्, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दि वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सेस, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दि वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सेस, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) दि फाउण्डेशन फॉर ऐबिलिटी इंप्रूवमेंट एण्ड टेक्नॉलाजी फॉर दि हैडीकैप्ड-इंडिया, पलक्कड, केरल

के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि फाउण्डेशन फॉर ऐबिलिटी इंप्रूवमेंट एण्ड टेक्नॉलाजी फॉर दि हैडीकैप्ड-इंडिया, पलक्कड, केरल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) दि रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) दि इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड एण्ड बैकवार्ड पीपल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड एण्ड बैकवार्ड पीपल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) दि वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) एम.जी.एम. बीथैनी शान्ति भवन स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड, पथनमथिट्टा, केरल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.जी.एम. बीथैनी शान्ति भवन स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड, पथनमथिट्टा, केरल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) एजूकेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, थौबल, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एजूकेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, थौबल, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) सामाजिक कल्याण केंद्र, त्रिसूर, केरल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामाजिक कल्याण केंद्र, त्रिसूर, केरल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) उत्तर बंगाल दिव्यागंजन पुनर्वास, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर बंगाल दिव्यागंजन पुनर्वास, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, कटक, ओड़िशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, कटक, ओड़िशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) पावनी सोसाइटी फॉर मल्टीपल हैंडीकैप्ड एंड स्पास्टिक्स, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावनी सोसाइटी फॉर मल्टीपल हैंडीकैप्ड एंड स्पास्टिक्स, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) संविधान की अनुच्छेद 338ख के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और पदावधि) नियम, 2018 जो 23 अगस्त 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) संविधान की अनुच्छेद 338ख के खंड (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2022 के पदावधि प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वर्ष 2019-2022 के पदावधि प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई- कार्रवाई की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) की में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(40) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली को वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 37वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री हरीश द्विवेदी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए श्री तोकेही येपथोमी के अभ्यावेदन के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(2) सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों, विशेष रूप से मेघालय स्थित बीमा कंपनियों के कार्यकरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री आर. मराक के अभ्यावेदन के संबंध में 36वां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक, विशेष रूप से गुवाहाटी स्थित बैंकों की ऋण योजनाओं के बारे में ग्राहकों की अवधारणा और प्रभावकारिता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री फानी धर दास के अभ्यावेदन के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभों को प्रदान करने के अनुरोध और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए श्री भवर सिंह के अभ्यावेदन के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यावरणीय विधियों के अनुपालन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेषज्ञ कार्मिकों को नियोजित करने की आवश्यकता के बारे में श्री विक्रम के अभ्यावेदन के संबंध में 39वां प्रतिवेदन।

(6) मुंबई में इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के एटीएम में

बढ़ती धोखाधड़ी-एटीएम लेन-देन के लिए प्रभावी रणनीति को पुन: बनाने की तत्काल आवश्यकता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री अभिषेक के अभ्यावेदन के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(7) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) में प्रस्तावित संशोधनों और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के बारे में सर्वश्री रजनीकांत पी. पटेल और सुधीर साबले तथा श्री संजय बेचन के अभ्यावेदन के संबंध में 41वां प्रतिवेदन।

7. **वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री जयंत सिन्हा ने 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 52वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार' के बारे में समिति के 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 173वां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग संख्या 10) के बारे में समिति के 167वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 174वां प्रतिवेदन।

(3) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग संख्या 11) के बारे में समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 175वां प्रतिवेदन।

9. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 238वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 240वां प्रतिवेदन।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 239वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 241वां प्रतिवेदन।

10. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री तापिर गाव ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'देश में केंद्रीय पुस्तकालयों का कार्यकरण' विषय के बारे में समिति के 310वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 328वां प्रतिवेदन।

(2) 'केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कार्यों की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 312वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 329वां प्रतिवेदन।

(3) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 330वां प्रतिवेदन।

(4) 'देश में पर्यटन अवसंरचना का विकास' विषय के बारे में समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 331वां प्रतिवेदन।

(5) 'नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में समिति के 321वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 332वां प्रतिवेदन।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1)* रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) ने 9 दिसम्बर, 2022 को अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में हुई यांगत्से घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

* अपराह्न 12.02 बजे दिया।

12. प्रस्ताव

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2022 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री मोहनभाई कुंडारिया द्वारा गुजरात में नवलकी बंदरगाह से द्वारका, मांडवी, मुंद्रा और कांडला तक वाटर टैक्सी सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्रीमती रीती पाठक द्वारा नए उर्वरक कारखाने स्थापित किए जाने और एक नई उर्वरक वितरण नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्रीमती रमा देवी द्वारा शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छतौनी-बेलसंड सड़क पर पुल बनाए जाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री संतोष पान्डेय द्वारा राजनंदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(6) श्रीमती रंजीता कोली द्वारा आगरा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर शीशम तिराहा से सारस चौराहा तक एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश में सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोहगरा धाम को राम सर्किट से जोड़े जाने और क्षेत्र में धार्मिक महत्व के अन्य स्थानों को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्तमान फायरिंग बट्स के स्थान पर बफल रेंज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री दिलीप शइकीया द्वारा असम में पथरूघाट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के शहीद स्थल को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान में जयपुर स्थित विद्याधर नगर में वर्तमान भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्र को जारी रखने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा लातूर-मुम्बई रुट पर एक अतिरिक्त ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नंदूरबार रेलवे स्टेशन होकर गुजरने वाली खानदेश एक्सप्रेस ट्रेन सं0 19003 को दैनिक आधार पर चलाए जाने के बारे में ।

(14) श्री गौरव गोगोई द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास बढ़ते शहरीकरण और वाणिज्यीकरण के बारे में।

(15) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा किशनगंज जिले और सीमांचल में चाय और जूट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के बारे में ।

(16) श्री वी. वैथिलिंगम द्वारा पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में सतत जल प्रबंधन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने के बारे में ।

(17) डॉ. गौतम सिगामणि पोन द्वारा कलावरायन हिल्स और येरकॉड हिल्स में इंटरनेट सुविधाओं की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(18) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा थिरुकुरल को भारत की राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में घोषित किए जाने और प्रतिवर्ष 15 जनवरी को 'थिरूवल्लूवर दिवस' के रूप में मनाए जाने के बारे में ।

(19) श्री वी. बालाशौरी द्वारा मंगीनापुडी बीच, हमसालादेवी और कोनेरु सेंटर को 'स्वदेश दर्शन स्कीम' के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में ।

(20) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के कटवा में लोगों को नदी तटों के अपरदन से बचाए जाने के बारे में ।

(21) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा पैनगंगा नदी को वैनगंगा और नलगंगा नदियों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(22) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पुलों का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(23) श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एचपीवी टीकाकरण को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(24) श्री एस. वेंकटेशन द्वारा एम्स, मदुरै का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(25) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा 'अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019' को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(26) श्री थोमस चाज़िकाडन द्वारा कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एतुमनूर पर पलारूवी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 12.15 बजे

14. (एक) वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच और (दो) वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय: 12 घंटे
लिया गया समय: 9 घंटा 24 मिनट
शेष समय: 2 घंटा 36 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा आगे जारी रही:-

(एक) वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - प्रथम बैच के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 33, 35 से 37, 43 से 56, 58 से 63, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 76 से 79, 85 से 89, 91, 93, 95 से 98 तथा 100 से 102 और;

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 20 और 31

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. सुश्री महुआ मोइत्रा
2. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
3. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
6. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. कुँवर दानिश अली
9. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
10. श्री हसनैन मसूदी
11. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
12. श्री प्रतापराव जाधव
13. श्री सौमित्र खान
14. डॉ. मोहम्मद जावेद
15. श्रीमती नवनित रवि राणा

16. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
17. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
18. श्री थोमस चाज़िकाडन
19. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
20. श्री पी. रविन्द्रनाथ
21. श्री डी.एम. कथीर आनन्द
22. डॉ. एस.टी. हसन
23. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
24. श्री भर्तृहरि महताब
25. श्रीमती संगीता आज़ाद
26. श्री जसबीर सिंह गिल
27. श्री अरविंद गणपत सावंत
28. डॉ. डी. रविकुमार
29. श्री निहाल चन्द चौहान
30. श्री श्री कृष्णा देवरायालू लावू
31. श्री हनुमान बेनीवाल
32. श्री रमेश बिधूड़ी
33. श्री राजमोहन उन्नीथन
34. श्री के. सुब्बारायण
35. श्री एस. वेंकटेशन
36. श्री के. राम मोहन नायडू
37. डॉ. थोलकप्पियन तिरुमावलवन
38. सुश्री राम्या हरिदास
39. श्री रितेश पाण्डेय
40. डॉ. अमर सिंह
41. श्री कनी के. नवास
42. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
43. श्री अधीर रंजन चौधरी

44. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

45. श्री भरत राम मारगनी

46. श्री रवनीत सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

***सायं 7.09 बजे**

(लोक सभा बुधवार, 14 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* सायं 6.24 से सायं 7.09 तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामलें उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2022/ 23 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 198

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 109 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 110 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1368 और 1370 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2022 जो 5 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 618(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 5 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 619(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा.का.नि. 711(अ) जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 10 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 440(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(चार) सा.का.नि. 712(अ) जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 10 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 441(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 626(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 627(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2022 जो 18 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2022 जो 18 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 639(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) आठवां संशोधन नियम, 2022 जो 29 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2022 जो 29 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 743(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सा.का.नि. 757(अ) जो 3 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 18 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 862(अ) का आंशिक संशोधन अंतर्विष्ट है।

(बारह) सा.का.नि. 758(अ) जो 3 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 18 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 863(अ) का आंशिक संशोधन अंतर्विष्ट है।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) होमी भाभा नेशनल इंस्टिट्यूट, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होमी भाभा नेशनल इंस्टिट्यूट, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस - अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस - अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ऑब्जरवेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ऑब्जरवेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सतेन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सतेन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) (एक) वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) (एक) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(12) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(14) (एक) जीवन विज्ञान संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीवन विज्ञान संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(15) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) (एक) जैव-संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जैव-संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) विधिक मापविज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) (तीसरा संशोधन) नियम, 2022, जो 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 648(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विधिक मापविज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) संशोधन (संशोधन) नियम, 2022, जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 747(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) संशोधन नियम, 2022, जो 4 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 15वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 42	दूसरा सत्र, 2009
2.	विवरण संख्या 41	आठवां सत्र, 2011
3.	विवरण संख्या 32	ग्यारहवां सत्र, 2012
4.	विवरण संख्या 32	तेरहवां सत्र, 2013
5.	विवरण संख्या 29	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

6.	विवरण संख्या 30	दूसरा सत्र, 2014

7.	विवरण संख्या 31	तीसरा सत्र, 2014
8.	विवरण संख्या 29	चौथा सत्र, 2015
9.	विवरण संख्या 25	पांचवा सत्र, 2015
10.	विवरण संख्या 23	सातवां सत्र, 2016
11.	विवरण संख्या 25	आठवां सत्र, 2016
12.	विवरण संख्या 25	नौवां सत्र, 2016
13.	विवरण संख्या 20	दसवां सत्र, 2016
14.	विवरण संख्या 23	ग्यारहवां सत्र, 2017
15.	विवरण संख्या 22	बारहवां सत्र, 2017
16.	विवरण संख्या 18	तेरहवां सत्र, 2017-18
17.	विवरण संख्या 18	पंद्रहवां सत्र, 2018
18.	विवरण संख्या 15	सोलहवां सत्र, 2018-19
19.	विवरण संख्या 14	सत्रहवां सत्र, 2019
	सत्रहवीं लोक सभा	
20.	विवरण संख्या 16	पहला सत्र, 2019
21.	विवरण संख्या 12	दूसरा सत्र, 2019
22.	विवरण संख्या 12	तीसरा सत्र, 2020
23.	विवरण संख्या 11	चौथा सत्र, 2020
24.	विवरण संख्या 11	पांचवां सत्र, 2021
25.	विवरण संख्या 10	छठा सत्र, 2021
26.	विवरण संख्या 4	सातवां सत्र, 2021
27.	विवरण संख्या 4	आठवां सत्र, 2022
28.	विवरण संख्या 1	आठवां सत्र, 2022

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-:

(1) (एक) ऑफिस आफ दि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, धनबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑफिस आफ दि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, धनबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) रेल (माल डिब्बों की अति भराई के लिए दंडात्मक शुल्क) (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.218(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 2022 जो 27 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेल रेड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.744(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) हासन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हासन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) वेबटैक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेबटैक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भांडागार (विकास और विनियमन) भांडागारों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 जो 8 *अप्रैल*, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भांडागार (विकास और विनियमन), भांडागारों का पंजीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो *25 अक्टूबर*, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 35 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 3071(अ) जो 6 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नौ गैर-कृषि पण्यों को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3132(अ) जो 8 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चार नए कृषि पण्यों को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3133(अ) जो 8 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दो मौजूदा पण्यों को विअधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 3134(अ) जो 8 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दो मौजूदा पण्यों को विअधिसूचित किया गया।

(3) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4495(अ) जो 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न/नकद अंतरण के हितलाभ प्राप्त करने के लिए आधार सं./आधार प्रमाणन की आवश्यकता को शामिल किए जाने की तारीख को 31 दिसम्बर, 2022 तक आगे बढ़ाया जाना अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 3 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी.1(4)/2016 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4862(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मद के लिए आयात नीति शर्तों में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3124(अ) जो 7 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) की रजिस्ट्रीकरण समयावधि में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3125(अ) जो 7 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) को 30.03.2022 के वित्त अधिनियम, 2022 के अनुरूप बनाया जाना अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 3255(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (निर्यात नीति) के अध्याय 05 के आईटीसी (एचएस) कोड 05119999 के अंतर्गत मद के लिए निर्यात नीति शर्तों में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 3578(अ) जो 1 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 के अंतर्गत एचएस कोड 29335200 की आयात नीति शर्त में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 3702(अ) जो 5 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 के अंतर्गत एचएस कोड 2902110 की आयात नीति शर्त में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 3759(अ) जो 10 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गैर-लौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (एनएफएमआईएमएस) की न्यूनतम रजिस्ट्रीकरण समयावधि में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 4021(अ) जो 25 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-05 के आईटीसी (एचएस) कोड 05119140 के अंतर्गत आयात नीति आर्टेमिया सिस्ट में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 4331(अ) जो 14 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 39 के अंतर्गत आयात नीति शर्त में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 4357(अ) जो 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जुलाई, 2022 के आरबीआई ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 के अनुरूप विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत पैरा 2.54(घ) को अंत:स्थापित किया जाना अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 4570(अ) जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 08 के अंतर्गत एचएस कोर्ड 08028010 की आयात नीति शर्त में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 5206(अ) जो 7 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) - कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) का कार्यान्वयन के अध्याय 27 की नीति शर्त सं. 7(दो) में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 5227(अ) जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जुलाई, 2022 के आरबीआई ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 के अनुरूप विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत संशोधन अधिसूचित किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 3111(अ) जो 7 जुलाई 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आटे की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 3737(अ) जो 8 अगस्त 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 3879(अ) जो 17 अगस्त 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्रम संख्या 55 और 57, अध्याय 10 अनुसूची-2, आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018-रेग. में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 4028(अ) जो 27 अगस्त 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(अठ्ठारह) का.आ. 4029(अ) जो 27 अगस्त 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 4219(अ) जो 9 सितम्बर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 10064000 के तहत टुकड़ा चावल की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 4399(अ) जो 20 सितम्बर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना संख्या 31 में यथाउल्लिखित टुकड़ा चावल (एचएस कोड 10064000) की निर्यात अवधि में 15 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक के विस्तार को अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 4558(अ) जो 27 सितम्बर के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 20.09.2022 की अधिसूचना संख्या 34 में यथाउल्लिखित टुकड़ा चावल (एचएस कोड 10064000) की निर्यात अवधि में 30 सितम्बर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक के विस्तार को अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 4863(अ) जो 12 अक्टूबर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए केवल टुकड़ा चावल (एचएस कोर्ड 1006400) के निर्यात कोटे को अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 4895(अ) जो 14 अक्टूबर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 5071(अ) जो 28 अक्टूबर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चीनी के निर्यात संबंधी प्रतिबंध की तिथि को 31 अक्टूबर 2022 से आगे बढ़ाया जाना अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 5229(अ) जो 10 नवम्बर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 10064000 के तहत टुकड़ा चावल की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 5375(अ) जो 17 नवम्बर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात के संबंध में समय विस्तार को अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 4578(अ) जो 29 सितम्बर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया जाना है, को अधिसूचित किया गया है।

(2) (एक) कोचीन विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नंलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कारपोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) टैक्सटाइल कमेटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्क्रण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टैक्सटाइल कमेटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन का कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन का कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) जबलपुर गारमेंट्स एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोसिएशन, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जबलपुर गारमेंट्स एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोसिएशन, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एनओसीसीआई बालासोर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बालासोर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एनओसीसीआई बालासोर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बालासोर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12:03 बजे

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(1) कि राज्य सभा 12 दिसम्बर 2022 को हुई अपनी बैठक में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(2) कि राज्य सभा 5 दिसम्बर 2022 को हुई अपनी बैठक में *श्री वी. विजयसाई रेड्डी,* जो 21 जून, 2022 को राज्य सभा से सेवानिवृत हो गए हैं, *के स्थान पर* लोक लेखा समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए उक्त समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट किए जाने की लोक सभा की सिफ़ारिश से सहमत हुई और श्री वी. विजयसाई रेड्डी, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नाम की सूचना भी दी।

(3) कि राज्य सभा 4 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में श्री वी. विजयसाई रेड्डी, डॉ. सस्मित पात्रा और श्री महेश पोद्दार के राज्य सभा से सेवानिवृत होने के कारण हुई रिक्तियों के स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के तीन सदस्य निर्वाचित किए जाने की लोक सभा की सिफ़ारिश से सहमत हुई और श्री मस्थान राव बीडा, श्री महेश जेठमलानी और श्रीमती सुलता देव, जो उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्य पाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन' संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(2) 'हाई एल्टीट्यूड के लिए वस्त्र, उपकरण, राशन और आवास का प्रावधान, खरीद और जारी करना' संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(3) 'जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)' के बारे में लोक लेखा समिति के 85वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(4) 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन' के बारे में लोक लेखा समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(5) 'पूर्णता-सह-अधिभोग प्रमाणपत्र की गैर-प्राप्ति के कारण वित्तीय हानि, विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफलता के कारण हानि और संविदाकार को अनुचित लाभ' के बारे में लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

(6) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन' के बारे में लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

(7) 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन के लिए तैयारी' के बारे में लोक लेखा समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

6. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ. निशिकांत दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के '5जी के लिए भारत की तैयारी' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

7. विदेशी मामलों संबंधी समिति का विवरण

श्री पी.पी. चौधरी ने 'भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियों' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग सं. 11) के बारे में विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(2) संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

9. मसाला बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1)(ख) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराह्न 12.08 बजे**

10. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 13 दिसम्बर, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 37वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.13 बजे पुनः समवेत हुई)

* अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 1.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.13 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री राजेश वर्मा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में खाली पड़ी रक्षा भूमि के उपयोग के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री भागीरथ चौधरी ने केन्द्रीय विद्यालय बंदरसिंदरी, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान के लिए नए स्कूल भवन और अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सेना भर्ती केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री विष्णु दयाल राम ने झारखण्ड के भुईहार मुंडा/भुईंहार जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) डॉ. निशिकांत दुबे ने संथाल परगना के जरमुंडी (दुमका), देवघर और महागामा (गोड्डा) में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री जगदम्बिका पाल ने भारत-नेपाल सीमा के निकट उत्तर प्रदेश में ककरहवा और बरहनी में एकीकृत जांच चौकियां स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी ने सांगोला-मंगलवेधा-सोलापुर मार्ग पर रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने के उद्देश्य से जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री दुर्गा दास उइके ने 'सहायता दिवस 'मनाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी ने मालवनी, मलाड पश्चिम, मुंबई में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन खाली पड़ी जमीन पर उद्यान और खेल मैदान के विकास के बारे में मामला उठाया।

(12) *डॉ. मनोज राजोरिया ने आगरा-सवाई माधोपुर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) *श्री सत्यदेव पचौरी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

(14) *डॉ. संजय जायसवाल ने देश के उत्तरी राज्यों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बारे में मामला उठाया ।

(15) *श्री राहुल कस्वां ने राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए यमुना नदी के पानी की आपूर्ति के लिए जल योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी देने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) *श्रीमती केशरी देवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धार्मिक महत्व के स्थलों, जो वर्तमान में सेना के नियंत्रण में हैं, को आम जनता के लिए सुलभ करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) *श्री बैन्नी बेहनन ने अलुवा रेलवे स्टेशन पर मुख्य प्रवेश द्वार और अंगमाली रेलवे स्टेशन पर रेल उपरि पुल के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

(18) *एडवोकेट डीन. कुरियाकोस ने प्राकृतिक रबर और इलायची को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के बारे में मामला उठाया।

(19) *श्री सप्तगिरि शंकर उलाका ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन के बारे में मामला उठाया ।

(20) *श्री के. रघु राम कृष्ण राजू ने नरसापुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में मामला उठाया ।

(21) *प्रो. सौगत राय ने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की स्थिति के बारे में मामला उठाया।

(22) *श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने सिंहगढ़ एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 11009/10) में डिब्बों की संख्या पहले जितनी किए की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(23) *डॉ. आलोक कुमार सुमन ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों के अंतर्गत आउटसोर्स नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में मामला उठाया।

(24) *श्री चंद्र शेखर साहू ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को पूरा किए जाने के बारे में मामला उठाया।

---

* नियम 377 के अधीन मामले अपराह्न 4.03 बजे से अपराह्न 4.34 बजे तक उठाए गए।

(25) *श्री मलूक नागर ने उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ने के बकाये के भुगतान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(26) *डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी ने कोझिकोड-पलक्कड़ ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में मामला उठाया।

(27) *श्रीमती नवनित रवि राणा ने एलआईसी अभिकर्ताओं को दिए जाने वाले कमीशन की दर के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.34 बजे

12. (एक) वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच और (दो) वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

आवंटित समय: 12 घंटे
लिया गया समय: 10 घंटा 53 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा आगे जारी रही:-

(एक) वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - प्रथम बैच के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 33, 35 से 37, 43 से 56, 58 से 63, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 76 से 79, 85 से 89, 91, 93, 95 से 98 तथा 100 से 102 और;

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में अतिरिक्त अनुदान की मांग संख्या 20 और 31

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - प्रथम बैच की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के तहत दर्शाई गई राशियों के लिए अनुपूरक अनुदानों की सभी मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 33, 35 से 37, 43 से 56, 58 से 63, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 76 से 79, 85 से 89, 91, 93, 95 से 98 तथा 100 से 102 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

* नियम 377 के अधीन मामले अपराह्न 4.03 बजे से अपराह्न 4.34 बजे तक उठाए गए।

वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के कॉलम 3 में दर्शाई गई राशियों के लिए अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांग संख्या 20 और 31 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

13. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2022.

14. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2022.

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

15. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2022.

16. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2022,

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4:34

17. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय: 02 घंटे
लिया गया समय: 1 घंटा 26 मिनट
शेष समय: 34 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. के. जयकुमार
2. श्री रंजीतसिन्हा नाईक निम्बालकर
3. श्री डी.रविकुमार
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति
6. श्री रमेश चन्द्र माझी
7. श्री हसनैन मसूदी
8. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
9. श्री के. सुब्बारायण
10. श्री वी. के. श्रीकंदन
11. श्री राजू बिष्ट
12. श्री हनुमान बेनीवाल
13. डॉ. थोलकप्पियान तिरुमावलवन
14. श्री पी. रविन्द्रनाथ
15. श्री एस. वैंकटेशन
16. श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022/ 24 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 199

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 125 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 126 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मोटर वाहन ड्राइविंग (संशोधन) विनियम, 2020, जो दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 586 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2021 जो दिनांक 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1655(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को "नामित अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केंद्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 2 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 28 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 479(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केंद्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 4 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 617(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केंद्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 625(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केंद्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 18 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 640(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केंद्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 26 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 660(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) भारत में आए मोटर यान गैर परिवहन यान नियम, 2022 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 680(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) मोटर यान (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण और प्रकार्य) संशोधन नियम, 2022 जो दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 695(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) केंद्रीय मोटर यान (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 703(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केंद्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 714 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ.3896(अ) जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्हील रिम के लिए मानदंडों के कार्यान्वयन में विस्तार को अधिसूचित किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.4143(अ) जो 2 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एआईएस 038 और एआईएस 156 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.4144(अ) जो 2 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए निरंतर गति ईंधन खपत परीक्षण को अधिसूचित किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.4567(अ) जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) केंद्रीय मोटर यान (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 10 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 797(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) केंद्रीय मोटर यान (अठारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 10 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 809(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3698(अ) जो 4 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 166 के सांगली-सोलापुर खंड के चार और चार से अधिक लेन वाला किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.3727(अ) जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 (पुराना एनएच-17) के पनवेल से कासु खंड के चार लेन खंड परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.4153(अ) जो 5 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में छह लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II) परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.4350(अ) जो 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में परतुर से माजलगाँव तक चार लेन की परियोजना जिसे पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन/चार लेन मानकों के साथ विकसित किया गया है, के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ.4351 (अ) जो 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के नरसन्नापेटा से रणस्थलम खंड के चार और चार से अधिक लेन वाला किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ.4366 (अ) जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5(नया एन एच-16) के चंडीखोल से भद्रक खंड के चार और चार से अधिक लेन वाला किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ.4367(अ) जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (पुराना एन एच-4) के चित्रदुर्ग बाईपास सहित चित्रदुर्ग से दावणगेरे की छह लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क

अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ.4400(अ) जो 21 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा तथा राजस्थान राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ईपीसी मोड पर दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट(एन एच-148 एन) की आठ लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ.4721(अ) जो 4 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में जमशेदपुर-महुलिया खंड की चार/छह लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ.4722(अ) जो 4 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एनएच-151क के चार लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.4866(अ) जो 13 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19.06.2022 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1388(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ.4867(अ) जो 13 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709एडी के पानीपत से शामली खंड की चार और चार से अधिक लेन वाला किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का. आ. 4875 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 के अयोध्या-गोरखपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का. आ. 4876 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 24 के बरेली- सीतापुर खंड की चार और अधिक लेन खंड परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का. आ. 4937 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 7) के बोरखेड़ी-वाडनेर-देवधारी-केलापुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (इनवल्ट) के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का. आ. 4938 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 27 के शिवपुरी-झांसी खंड की चार लेन परियोजना के लिए टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (इनवल्ट) के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का. आ. 4939 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 के आगरा बाईपास खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का. आ. 5068 (अ) जो 28 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 214क [नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 216] के रेपल्ले से इप्पुरपलेम खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का. आ. 5069 (अ) जो 28 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमांचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 21 [नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 3] के तकोली से कुल्लू खंड तथा कुल्लू से मनाली खंड की 2/4 परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का. आ. 5154 (अ) जो 4 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 89 [नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 62] के नोखा से बीकानेर खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का. आ. 5155 (अ) जो 4 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 89 [नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 62] के नागौर बाईपास से नोखा खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का. आ. 5156 (अ) जो 4 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 53 [पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 6] के फाग्ने से महाराष्ट्र- गुजरात सीमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का. आ. 5245 (अ) जो 11 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 66 [पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 17] के कुंदापुर-सुरथकल खंड और महावीर सर्किल से तलपाडी खंड को 4/6 लेन किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का. आ. 5289 (अ) जो 14 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 23 [नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 149] [नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 53] के तलचर से दुबरी खंड को चार और चार से अधिक लेन वाला किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का. आ. 5290 (अ) जो 14 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5245(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का. आ. 5306 (अ) जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 48 [पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 4] के देवनागरी-हावेरी खंड को छह लेन का किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का. आ. 5307 (अ) जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 6 [नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 53] के तेलेइबनी से सम्बलपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का. आ. 5308 (अ) जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य के हनुमानगढ़, सुरतगढ़, लुनकरसर, बीकानेर, जोधपुर, थोब, पचपद्रा तथा संतालपुर के निकट बलोत्रा संचोरे और हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग-754अ की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का. आ. 5309 (अ) जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-23 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 143) के बिरामित्रपुर-ब्राह्मणी बाईपास और भ्रामनी बाईपास से राजामुंडा खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का. आ. 5311 (अ) जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-16 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 5) के रानास्थलम से हनुमंतवाका जंक्शन खंड की चार और चार से अधिक लेन वाला किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड के नाम से ज्ञात), भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड के नाम से ज्ञात), भोपाल का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) टस्को लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टस्को लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलॉग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलॉग का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन और अनुषंगी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र के लिए), गुरुग्राम वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र के लिए), गुरुग्राम वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022 जो 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुषंगी सेवाएं) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आर.ए.-14026(11)/3/2019-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आर.ए.-14026(11)/1/2019-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीईए-टीएच-17-17/5/2021-टीईटीडी डिवीजन में प्रकाशित हुए थे।

(7) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटरों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2022 जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/आरईएफ/70/2021-22 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिए रीति और अंतराल) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 31 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18/1/बीईई/डिस्कॉम/202 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके भीतर योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने या खरीदने की प्रक्रिया और ऊर्जा खपत के समकक्ष प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) संशोधन नियम, 2022 जो 30 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) आवासन और शहरी विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवासन और शहरी विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल सामान्य (संशोधन) नियम, 2022, जो 22 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.836(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.4020(अ) जो 25 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत पटना मेट्रो रेल परियोजना गलियारा-एक और गलियारा-दो के संरेखण को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आवासन और शहरी विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 14 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

5. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक - सभा पटल पर रखे गए

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022.

6. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रतन लाल कटारिया ने 'सशस्त्र बलों में युद्ध विधवाओं/परिवारों को उपलब्ध कल्याणकारी उपायों का आकलन' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जगदम्बिका पाल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) '175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य-योजना' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(दो) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों के विकास' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(तीन) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में विलंब' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

8. विदेशी मामलों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'कोविड-19 वैश्विक महामारी : वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और भावी योजना' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल ने 'चक्रवात तौकते के दौरान पश्चिमी अपतट में हुई दुर्घटना के विशिष्ट संदर्भ में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के तेल अधिष्ठापनों की सुरक्षा और संरक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.07 बजे

10. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) के लिए राज्य सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से सेवानिवृत्त श्री विशम्भर प्रसाद निषाद *के स्थान पर* समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करने के लिए सहमत हो और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.21 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.25 बजे पुनः समवेत हुई)

---

* अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.21 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.25 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

1) श्री गणेश सिंह ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में पर्यटकों के लिए एक संग्रहालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
2) श्री विजय कुमार दुबे ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के रास्ते अरुणाचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (रेलगाडी सं. 22411/12) चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
3) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने ग्रामीण डाक सेवकों से संबंधित कमलेश चंद्र समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने के बारे में मामला उठाया।
4) श्री सुरेश पुजारी ने ओडिशा में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की जांच के बारे में मामला उठाया।
5) श्री रतन लाल कटारिया ने पटियाला से पेहवा, रेहवा से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से लाडवा सड़कों को चार/छह लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
6) श्री पी. रविन्द्रनाथ ने मंगला देवी कन्नगी मंदिर को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में मामला उठाया ।
7) श्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में तेंदुए के हमलों की घटनाओं में बढ़ोत्तरी के बारे में मामला उठाया।
8) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ने बोलांगीर, ओडिशा में अपर लंथ सिंचाई परियोजना को पूरा किए जाने के बारे में मामला उठाया ।
9) डॉ. संघमित्रा मौर्य ने बदायूं में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
10) प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के बकाया का भुगतान किए जाने के बारे में मामला उठाया।
11) श्री मनसुखभाई डी. वसावा ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों को उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
12) श्री अर्जुनलाल मीणा ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में मामला उठाया।
13) श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल ने आगरा-मुंबई राजमार्ग पर स्थित गणेश घाट पर दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
14) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैदराबाद और विजयवाड़ा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने के बारे में मामला उठाया।
15) श्री चन्द्र शेखर बेल्लाना ने सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
16) श्रीमती प्रतिमा मण्डल ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण बारासात रेलवे स्टेशन से सटी सड़क की मरम्मत के बारे में मामला उठाया।
17) श्री महाबली सिंह ने बिहार के काराकरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गांव अंकुरी और गांव जखोरा के बीच पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
18) श्री कुंवर दानिश अली ने पेयजल में आर्सेनिक की विषाक्तता के बारे में मामला उठाया।
19) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी ने एक साथ चुनाव कराने के बारे में मामला उठाया।
20) श्री जयदेव गल्ला ने तेनाली-गुंटूर रेलवे लाइन के दोहरीकरण और सुड्डापल्ली समपार के निकट हाल्ट बनाए जाने के बारे में मामला उठाया ।

अपराह्न 3.01 बजे

12. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 02 घंटे 42 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. निशिकांत दुबे
2. श्री वी.वैथिलिंगम
3. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. प्रो. सौगत राय
6. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
7. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
8. श्री मलूक नागर

श्री अर्जुन मुंडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.17 बजे

13. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 01 घंटा 45 मिनट

शेष समय: 15 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
2. श्री सुरेश कुमार कश्यप
3. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
4. श्री अरविंद गणपत सावंत
5. श्रीमती गोड्डेती माधवी
6. सुश्री चन्द्राणी मुर्मु
7. श्री गिरीश चन्द्र
8. श्री वीरेन्द्र सिंह
9. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
10. डॉ. एस.टी.हसन
11. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
12. श्री हनुमान बेनीवाल
13. श्रीमती नवनित रवि राणा
14. श्री पी. रविन्द्रनाथ
15. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
16. श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022/ 25 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 200

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 144, 145 (148 के साथ युग्मित), 146 और 147 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 149 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

महिला और बाल विकास मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम - सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण (2.0), नियम, 2022 जो 6 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.766(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) गार्डन रीच शिपबिल्डफर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलाईड स्पोर्ट्स, वेस्ट कामेंग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलाईड स्पोर्ट्स, वेस्ट कामेंग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डि-गामा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डि-गामा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रकाशित ओषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो दिनांक 20 जुलाई, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ.2899(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन नर्सिंग काउन्सिल (नर्स प्रैक्टिसनर इन क्रिटिकल केयर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी प्रोग्राम-शुद्धिपत्र) विनियम, 2022 जो 24 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउन्सिल (पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर स्पेशियलिटी नर्सिंग-रेजिडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 11-1/2022-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इंडियन नर्सिंग काउन्सिल (रिवाइज्ड रेगूलेशंस एण्ड करीकुलम फॉर बी.एससी.(नर्सिंग) प्रोग्राम-शुद्धिपत्र) विनियम, 2022 जो 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 11-1/2022-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय सहबद्ध् और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रकाशित राष्ट्रीय सहबद्ध् और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति चौथा (समस्या निराकरण) आदेश, 2022 जो दिनांक 16 नवंबर, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ.5322(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओषधि (छठा संशोधन) नियम, 2022, जो 10 अगस्तु, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 623(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओषधि (छठा संशोधन) नियम, 2022, जो 10 अगस्ता, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 623(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चिकित्सा उपकरण (पांचवां संशोधन) नियम, 2022, जो 30 सितम्बरर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 754(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चिकित्सा उपकरण (छठा संशोधन) नियम, 2022, जो 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 777(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ओषधि (सातवां संशोधन) नियम, 2022, जो 24 अगस्त्, 2022 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 654(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2022, जो 27 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडी/एफए/ए-1.30/सं.1/2020-एफएसएसएआई (पी.1) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विनिर्दिष्टद खाद्य और खाद्य सामग्री) पहला संशोधन विनियम, 2022, जो 12 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडी/ईसी/टी(एनएसएफ-01) में प्रकाशित हुए थे।

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (स्नातकपूर्व सोवा-रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 जो 16 नवम्बेर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.18-12/2022-बीयूएसएस (सोवा-रिग्पा2-यूजी-एमएसई) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

*(1) अधिसूचना संख्या 1/2022-सेवा कर जो दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली तथा 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि में प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 के अधीन प्रकाशस्तम्भ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय द्वारा संग्रहीत

* अपराह्न 12.02 बजे

''प्रकाश-शुल्क'' के बारे में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अधीन अधिसूचित किया गया है कि संदेय सेवा कर का भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

*(2) अधिसूचना सं. 42/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

*(3) अधिसूचना सं. 43/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 4/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, कार्य की आउटसोर्सिंग और संविदात्मक नियोजन के आलोक में - प्रसार भारती के विशेष संदर्भ सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण को सुनिश्चित करने के तौर-तरीके' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याटण संबंधी समिति का 18 अगस्त, 2022 से 24 अगस्त, 2022 तक मसूरी, हैदराबाद और ऊटी का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) से संबंधित 'विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' संबंधी समिति का 42वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे -:

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 18 और 21) के बारे में अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 19 और 20) के बारे में अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 20) के बारे में अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग संख्या 19 और 20) के बारे में अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

***अपराह्न 12.06 बजे**

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री: तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 19 दिसम्बर, 2022 से आरंभ हो रहे सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.21 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.29 बजे पुनः समवेत हुई)

* अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.21 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.29 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

1. श्री देवजी एमपटेल . ने राजस्थान के जालोर और सिरोही जिलों को सुजलाम सुफलाम नहर के माध्यम से माही नदी का जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
2. श्री विनायक बी-(ईपीएस) राऊत ने कर्मचारी पेंशन योजना .1995 के अंतर्गत पेंशनरों की मांगों के बारे में मामला उठाया।
3. श्री सुदर्शन भगत ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों द्वारा कथित अनैतिक चिकित्सा व्यवहारों के बारे में मामला उठाया।
4. श्री संगम लाल गुप्ता ने प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या बी पर रेलवे अंडर ब्रिज 82 निर्माण के बारे में मामला उठाया।
5. श्री विनोद कुमार सोनकर ने के बारे में मामला उठाया। 'वन नेशन वन वोटर आईडी'
6. श्री सुनील कुमार सोनी ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए घरों के निर्माण के लिए अनुमोदन के बारे में मामला उठाया।
7. श्री विजय बघेल ने राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क की अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय पीएसयू में विभिन्न पदों के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
8. श्री भोला सिंह ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सीजीएचएस औषधालयों की स्थापना किए जाने के बारे में मामला उठाया।
9. श्री धर्मवीर सिंह ने हरियाणा के भिवानीमहेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी की -आपूर्ति हेतु सिटी गैस वितरण नेटवर्क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
10. श्री आरसिंह .के . पटेल ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिलों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
11. श्री जनार्दन मिश्र ने रीवासिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत विस्थापित किए गए कृषकों एवं उनके -सीधी- परिवार के आश्रित सदस्यों को रेल विभाग मेंनियुक्ति के बारे में मामला उठाया।
12. श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने देश में सक्रिय औषधीय सामग्री के उत्पादन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
13. श्री राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के बारे में मामला उठाया।
14. श्री अब्दुल खालेक ने सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दो एक्सप्रेसवे का निर्माण किए जाने -के बारे में मामला उठाया।
15. श्री प्रद्युत बोरदोलोई ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
16. डॉ. बीसत्यवती ने अनाकापल्ली .वी . जिले में नए नौसेना बेस के कारण प्रभावित मछुआरों की मांगों के बारे में मामला उठाया।
17. श्रीमती वीणा देवी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पताही हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा शुरू किए जाने के बारे में मामला उठाया।
18. श्री हसनैन मसूदी ने जम्मूकश्मीर में सड़कों का निर्माण किए जाने के बारे में मामला उठाया।-
19. श्री नव कुमार सरनीया ने कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की गंभीर कमी के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 3.01 बजे

10. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 02 घंटे 19 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. श्री राम कृपाल यादव
2. श्री अब्दुल खालेक
3. श्री हसनैन मसूदी
4. श्री बी. बी. पाटील

श्री अर्जुन मुंडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.35 बजे

11. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प - अस्वीकृत

श्री रितेश पाण्डेय द्वारा 20 मार्च, 2020 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:-

"यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए -

(1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;

(2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;

(3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो समाज के प्रति उनकी सेवाओं के महत्व को दर्शाए;

(4) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित संवातन सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनका उन्नयन करना; और

(5) देश में किराए के आवासों में चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों की लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
2. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
3. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
4. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
5. श्री जसबीर सिंह गिल
6. श्री निहाल चन्द चौहान
7. कुँवर दानिश अली
8. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.04 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प - विचाराधीन

श्री रेड्डप्प नल्लाकोंडा गरि ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया :-

"निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि -

(i) भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी परिवहन और संभार तंत्र प्रणालियों में से एक है तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की वाहक है; भारतीय रेल भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक प्रतिशत है और कोर सेक्टर की माल ढुलाई आवश्यकताओं के मुख्य आधार के रूप में कार्य करती है;

(ii) विगत शताब्दी में निर्मित रेल लाइनों और स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क के साथ भारत में रेल विकास का एक विस्तृत इतिहास रहा है; रेलवे प्रतिदिन चौबीस मिलियन से अधिक यात्रियों का परिवहन करती है तथा देश भर में 8000 स्टेशनों को जोड़ती है;

(iii) विगत वर्षों में देश भर में रेलवे स्टेशन वाणिज्यिक और बुनियादी विकास के प्रमुख शहरी केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं;

(iv) भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे तीव्र परिवर्तनों के कारण रेलवे के बुनियादी ढांचे को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना आवश्यक है;

(v) विगत दो दशकों में भारतीय रेल के स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए मॉडल, आधुनिक और आदर्श स्टेशन योजना सहित विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं तथा उक्त आधुनिकीकरण योजनाओं के अंतर्गत केवल चुनिंदा ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर ही यात्री सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता दी गई है;

(vi) आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम में स्थित दक्षिण तटीय रेलवे जोन के संचालन में अत्यधिक विलंब हो रहा है तथा जोन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेल मंत्रालय के पास लंबित है; और

(vii) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रस्तावित दक्षिण तटीय रेलवे जोन में कोई रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है, जिसके कारण नौकरी के इच्छुकों को रेलवे भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए तेलंगाना राज्य की यात्रा करने के लिए विवश होना पड़ता है,

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह-

(क) आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले शेष स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए तत्काल कार्रवाई करे;

(ख) देश के सभी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और उन्नयन सुनिश्चित करे; और

(ग) दक्षिण तटीय रेलवे जोन के परिचालन में तेजी लाए और इस जोन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना करे।"

श्री रेड्डप्प नल्लाकोंडा गरि भी संकल्प पर बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री थोमस चाज़िकाडन
2. श्री जसबीर सिंह गिल
3. श्री संगम लाल गुप्ता
4. श्री मुकेश राजपूत

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/ 28 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 201

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 168 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 169 से 180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रतिस्पिर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022, जो 12 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-12015/01/2022-एचआर/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (लेखे) चौथा संशोधन नियम, 2022 जो 11 अगस्त, 2022 के सा.का.नि. 624 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 18 अगस्त, 2022 के सा.का.नि. 643 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) दूसरा संशोधन नियम, 2022 तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 26 अगस्त, 2022 के सा.का.नि. 658 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 29 अगस्त, 2022 के सा.का.नि. 662 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2022 जो 29 अगस्त, 2022 के सा.का.नि. 663

(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 29 अगस्त, 2022 के सा.का.नि. 664 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (स्पेशिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स) संशोधन नियम, 2022 जो 15 सितम्बर, 2022 के सा.का.नि. 700 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एण्ड वैल्यूएशन) संशोधन नियम, 2022 जो 22 नवम्बर, 2022 के सा.का.नि. 831 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (मैनर ऑफ अप्वाईंटमेंट एण्ड अदर टर्म्स एण्ड कंडिसंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एण्ड मेम्बर्स) नियम, 2018 जो 22 मार्च, 2018 के सा.का.नि.262(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2022 जो दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 715 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (एक) और (नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में आठवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर

रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 5 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 682 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 3 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1176 (अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मूकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 1564 (अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तलकावेरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 1701 (अ) जो 26 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1815 (अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अत्तिवेरी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(पाँच) का.आ. 1857 (अ) जो 8 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरबितित्तू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(छः) का.आ. 1811 (अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रंगायनदुर्ग चौसिंगा मृग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 2029 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घटप्रभा पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 2028 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 2147 (अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रानेबेन्नुर काला मृग अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 2148 (अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुदावी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 2145 (अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुदेकोटे स्लॉथ बियर अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 2733 (अ) जो 22 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कावेरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 2993 (अ) जो 12 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रामदेवरबेट्टा गिद्ध अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 3031 (अ) जो 14 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 3084 (अ) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 3132 (अ) जो 27 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नूगू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 3577 (अ) जो 10 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(अठ्ठारह) का.आ. 2797(अ) जो 5 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 2893 (अ) जो 9 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 4152 (अ) जो 19 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाईगर रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 1036 (अ) जो 11 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 2188 (अ) जो 2 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 2942 (अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 3497 (अ) जो 9 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा थिल्मापुरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 787 (अ) जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यदाहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 5251 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जोगिमति वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र, कोयम्बटूर के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र, कोयम्बटूर के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) ललित कला अकादेमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादेमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3180 (अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.3209 (अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) 21 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 64/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ.3576 (अ) जो 29 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) 4 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या 66/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.3801 (अ) जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) 18 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या 70/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.4090 (अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर

टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) 1 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 73/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.4344 (अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) 15 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 78/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) 26 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 83/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ.4624 (अ) जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) 30 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 85/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) 6 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 87/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.4814 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.4894 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) 20 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 90/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ.5078 (अ) जिसके द्वारा 31 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) 3 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 92/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ.5241 (अ) जो 10 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ.5250 (अ) जो 11 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) 14 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 95/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ.5310 (अ) जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) 17 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 97/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.722(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 848(अ) जो 25 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय विशिष्ट एफटीए/पीटीए अधिसूचना में संशोधन करना है ताकि सेल्यूलर मोबाईल फोनों के लिए ड्राईवर या नियंत्रण सर्किटों के बिना फ्लैट पैनल डिस्प्ले मोड्यूल्स के संबंध में ट्रांसपोजिशन के पश्चात् परिणामवर्ती परिवर्तनों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सीमा-शुल्क (अपराधों का प्रशमन) संशोधन नियम, 2022 जो 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 645(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सीमा-शुल्क (प्रशुल्क की रियायती दर पर या विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं के आयात) नियम, 2022 जो 10 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 876(अ) जो 12 दिसम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 01.10.1977 की अधिसूचना संख्या 208/77-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि भूमि सीमा-शुल्क स्टेशन (एलसीएस) भिथामोड और बारहनी को उन एलसीएस की सूची में सम्मिलित किया जा सके, जहां मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया द्वारा मेसर्स नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेपाल को किए गए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात, जिनके लिए लागत का भुगतान भारतीय मुद्रा में प्राप्त हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक के दावे के लिए अर्हत होंगे। यह एक व्यापार प्रसुविधा उपाय है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2022 जो 1 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2022 जो 10 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 622(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2022 जो 17 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 632(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2022 जो 17 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 634(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (27वां संशोधन) नियम, 2022 जो 18 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 636(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (28वां संशोधन) नियम, 2022 जो 22 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (29वां संशोधन) नियम, 2022 जो 1 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 677(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (30वां संशोधन) नियम, 2022 जो 14 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 697(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (31वां संशोधन) नियम, 2022 जो 20 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (32वां संशोधन) नियम, 2022 जो 28 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (33वां संशोधन) नियम, 2022 जो 7 अक्तूबर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 769(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 860(अ) जो दिनांक 1 दिसम्बरर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन किए गए हैं, ताकि क्रूड पेट्रोलियम के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त

उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके।

(दो) सा.का.नि. 861(अ) जो दिनांक 1 दिसम्बरर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केंद्रीय उत्पातद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल पर विशेष अतिरिक्ति उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके।

(5) सीमाशुल्कं टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 853(अ) जो 28 नवम्बार, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित कास्ट. एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स या अलॉय रोड व्हील्स (एआरडब्यू) पर प्रतिपाटन शुल्क की मात्रा को रूपांतरित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी निवेश) नियम, 2022 जो दिनांक 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 जो दिनांक 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 400/2022-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(7) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (इंटरपोल की 90वीं महासभा के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2022 जो 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 776(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (युगवीर जन आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2022 जो 25 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 789(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (श्री रामचन्द्र जी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2022 जो 25 अक्त्ीबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय शाखा कैंपस और अपतटीय शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 जो 12 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/आरईजी027 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन-रोधी, आतंक वित्तपोषण-रोधी और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिर्देश, 2022 जो 31 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएल001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 5160(अ) जो 4 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या

वित्तीय संस्थाओं के लिए कतिपय अपवाद, आशोधन और अनुकूलन अधिसूचित किए गए हैं।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वेबसाइट का अनुरक्षण) विनियम, 2022 जो 27 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी021 में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/88 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/89 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/90 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 3 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/92 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन और टेकओवर) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/98 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रीयल एस्टेट निवेश नियम) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/100 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/101 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.

एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/103 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 15 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/104 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 15 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/105 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/106 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 22 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/107 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/108 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (सातवां संशोधन) विनियम, 2022 जो 5 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/109 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियां) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 1 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91 में प्रकाशित हुए थे।

(10) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत, माल और सेवा कर (प्रशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण की अवधि) नियम, 2022 जो 24 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.468(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति -दिसम्बर, 2022 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई पर 39वें कार्रवाई प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस सेंटर्स अथॉरिटी, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फ़ाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फ़ाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.849(अ), जो 25 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्रों (विधानमंडल के बिना) में अग्रिम शासन के लिए प्राधिकरण के संविधान में कतिपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194द की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 13 सितम्बर, 2022 का 2022 का परिपत्र सं.18, जिसमें कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देशं अधिसूचित किए गए है, की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

(23) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण तथा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार के दायित्वों की पूर्ति में विचलन को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर सितारगंज, उधम सिंह नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर सितारगंज, उधम सिंह नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) ईस्टर्न ज़ोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न ज़ोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नॉर्थ ईस्ट ज़ोनल कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट ज़ोनल कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज, डाहुंग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज, डाहुंग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) रामकृष्णा मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्णा मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) साउथ सेंट्रल जोन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा राज्य कार्यान्वयन समिति, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(दो) समग्र शिक्षा राज्य कार्यान्वयन समिति, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) समग्र शिक्षा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) पंजाब अशोक होटल निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) कुमारकृपा फ़्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकृपा फ़्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) उत्तरपूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उत्तरपूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ट्रिगी स्तरीय तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट कर्मियों के वेतनमान, सेवा शर्ते और नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के उपाय (संशोधन) विनियम, 2022, जो 7 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.61-1/पीएंडएपी/सातवां सीपीसी/2016-17 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नै के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नै के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइज़ोल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइज़ोल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइज़ोल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमानी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमानी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमानी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2019-2020 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2019-2020 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीसिटी, चित्तूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीसिटी, चित्तूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, मंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, मंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2020-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मालदा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मालदा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(48) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(51) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. फा.सं.सीयूजे/आर.सी/09/2000 जो 6 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शिक्षण और अन्य अकादमिक पदों), 2021 से संबंधित अध्यादेश सं. 21 अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के स्वैच्छिक समापन के बारे में परिसमापक के प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के स्वैच्छिक समापन के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन।

(ख) (एक) 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के स्वैच्छिक समापन के बारे में परिसमापक के प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के स्वैच्छिक समापन के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन।

(ग) (एक) 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के स्वैच्छिक समापन के बारे में परिसमापक के प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 31 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के स्वैच्छिक समापन के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन।

(4) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, हनुमाकोंडा
(दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, काडपा
(तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाहरलागुन
(चार) आर्यवर्त बैंक, लखनऊ
(पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
(छह) बंगिय ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद
(सात) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
(आठ) बडौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा
(नौ) बडौदा उत्तर प्रदेश बैंक, गोरखपुर
(दस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
(ग्यारह) छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर
(बारह) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
(तेरह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर
(चौदह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
(पंद्रह) जेएंडके ग्रामीण बैंक, जम्मू
(सोलह) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची
(सत्रह) कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बेल्लारी
(अठारह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़
(उन्नीस) केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम
(बीस) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर
(इक्कीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर

(बाईस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद
(तेईस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
(चौबीस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग
(पच्चीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल
(छब्बीस) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा
(सत्ताईस) ओडिशा ग्राम्या बैंक, भुवनेश्वर
(अट्ठाईस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा
(उनतीस) प्रथम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
(तीस) पुदुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुदुचेरी
(इकतीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
(बत्तीस) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर
(तैंतीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर
(चौंतीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
(पैंतीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
(छत्तीस) तमिलनाडु ग्राम बैंक, सेलम
(सैंतीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
(अड़तीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
(उनतालीस) उत्कल ग्रामीण बैंक, बलंगीर
(चालीस) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
(इकतालीस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर
(बयालीस) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून
(तैंतालीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 14 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022, लोकसभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमति दी।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'भारतीय स्टेट बैंक के विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण तथा ऐसी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन (17वीं लोक

सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(2) 'पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

6. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री घनश्याम सिंह लोधी ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'स्कूल लॉकडाउन के कारण हुए शैक्षणिक व्यवधान को दूर करने की योजनाएं तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा और परीक्षाओं की समीक्षा तथा स्कूलों को पुन: खोले जाने की योजनाएं' विषय के बारे में 328वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 342वां प्रतिवेदन।

(2) 'स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर 336वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 343वां प्रतिवेदन।

(3) 'युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर 339वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 344वां प्रतिवेदन।

(4) 'उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर 337वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 345वां प्रतिवेदन।

(5) 'महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर 338वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 346वां प्रतिवेदन।

(6) 'स्कूल पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु और डिजाइन में सुधार' के बारे में 331वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 347वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) का कार्यान्वयन' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(4) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

***अपराह्न 12.07 बजे**

8. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

निरसन और संशोधन विधेयक, 2022

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.03 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले।

1) श्री नायब सिंह ने पंचकुला से शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, चंडीगढ़ तक सड़क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

2) श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उत्तराखंड में देहरादून से कालसी तक रेल लाइन के निर्माण हेतु निधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

3) श्री तीरथ सिंह रावत ने लापता बच्चों की ट्रैफिकिंग और बचाव के लिए पूरे देश में फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

4) श्री अशोक कुमार रावत ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के माधोगंज को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

* अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

5) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ने बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पटनागढ़ और टिटलागढ़ में दो केन्द्रीय विद्यालयों के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने के बारे में मामला उठाया।

6) डॉ. संघमित्रा मौर्य ने 3 जनवरी, ज्योतिबा फुले की जयंती, को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

7) श्री छतर सिंह दरबार ने धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

8) श्री दुष्यंत सिंह ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

9) श्री विजय कुमार दुबे ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

10) श्री राहुल कस्वां ने चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 पर आरओबी, वीयूपी व सीयूपी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

11) सुश्री देबाश्री चौधरी ने रायगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुल एवं नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

12) श्री संतोष पान्डेय ने प्रसाद योजना के अंतर्गत राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भोरमदेव मंदिर को शामिल करने और विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

13) श्री निहाल चंद चौहान ने गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा योजना के लाभ के बारे में मामला उठाया।

14) श्री कृपानाथ मल्लाह ने करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

15) श्री बैन्नी बेहनन ने दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी उपायों के बारे में मामला उठाया।

16) श्री विंसेंट एच. पाला ने मेघालय राज्य में राजमार्गों के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

17) डॉ. वी. कलानिधि वीरास्वामी ने तमिलनाडु में नई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

18) श्री मद्दीला गुरुमूर्ति ने तिरुपति में एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

19) प्रो. सौगत राय ने बोगतुई आगजनी मामले में एक कथित मुख्य आरोपी की मृत्यु के बारे में मामला उठाया।

20) डॉ. आलोक कुमार सुमन ने बिहार में निवेश आकर्षित करने और उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

21) श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

22) श्री रितेश पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश में देवहाट तालाब के स्थल पर पक्षी विहार बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

23) चौधरी महबूब अली कैसर ने बिहार में महेशखूंट से नारायणपुर तक रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने के बारे में मामला उठाया।

24) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले ने लंपी रोग के लिए वैक्सीन के विकास के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.48 बजे

10. सरकारी विधेयक - पारित

समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019

आवंटित समय: 02 घंटे
लिया गया समय: 03 घंटे 22 मिनट

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 6 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 7 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 8 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 9 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 14 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 15 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

उद्देशिका यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

विधेयक का पूरा नाम, यथासंशोधित भी स्वीकृत हुआ।

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर द्वारा विधेयक, यथासंशोधित को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 4.06 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 02 घंटे 21 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
2. डॉ. उमेश जी. जाधव
3. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
4. श्रीमती चिंता अनुराधा
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. डॉ. अच्युतानंद सांमत
7. श्री दिलेश्वर कामैत
8. कुंवर दानिश अली
9. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

10. श्री तापिर गाव
11. एडवोकेट ए.एम.आरिफ़
12. श्री हसनैन मसूदी
13. श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर
14. श्री शिवकुमार चानाबसप्पा उदासी
15. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
16. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
17. श्री हनुमान बेनीवाल
18. श्री जुएल ओराम
19. श्री अरविंद गणपत सावंत
20. श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया
21. श्री सौमित्र खान
22. श्री के. राम मोहन नायडू

श्री अर्जुन मुंडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.27 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2022/ 29 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 202

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 182 से 184 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 185 से 200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्निलखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु के प्रथम परिनियम जो 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.724(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, कुंडली, हरियाणा के प्रथम परिनियम जो 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.725(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए

हुआ समझौता-ज्ञापन।

(दो) भारी उद्योग मंत्रालय तथा ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(तीन) भारी उद्योग मंत्रालय तथा एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड़) (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वर्ष 2021 के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उप-धारा (4) के अंतर्गत, 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (एनिमल ट्रांसपोर्ट), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 596(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (मेकैनिक मोटर व्हीकल) तकनीकी काडर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 जो 16 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 4670 (अ) से का.आ. 4679(अ), जो 4 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में इम्तियाज अहमद कंडू @ सज्जाद @ फयाज

सोपोर, शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची, बासित अहमद रेशी, हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शानी @ बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी, इरशाद अहमद @ इदरीस, रफीक नाई @ सुल्तान, जफर इकबाल @ सलीम @ जमालुद्दीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान, बिलाल अहमद बेग @ बाबर, शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबी नुसरत @ फयाज अहमद डार के नामों को क्रमशः जोड़ा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (राजस्व विभाग- अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) (2022 का संख्यांक 19) - कस्टम बाउंडेड वेयर हाऊसेज एण्ड फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन्स के कार्यकरण के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

(ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायु सेना और नौसेना के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2022 का संख्यांक 20)।

(iii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मंत्रालयों/विभागों (अनुपालन लेखापरीक्षा) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2022 का संख्यांक 21)।

(iv) 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2022 का संख्यांक 24) - अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(v) 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2022 का संख्यांक 26) ।

(vi) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुपालन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 32)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त लेखे (खंड-I)।

(ii) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त लेखे (खंड-II)।

(iii) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार का विनियोग लेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण)(पाँचवाँ) संशोधन आदेश, 2022 जो 30 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4638(अ) में प्रकाशित हुआ था।.

(ii) का.आ. 4496(अ) जो 23 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारत में निर्यात किए गए उर्वरकों के विनिर्देशनों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(iii) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण)(चौथा संशोधन) आदेश, 2022 जो 27 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4557(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(iv) का.आ. 4252(अ) जो 12 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) आदेश, 1985 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के प्रयोजनार्थ विशेष आदेश के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2022 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3456(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ii) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3777(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(iii) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2022 जो 26 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4551(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(iv) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन) आदेश, 2022 जो 13 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4871(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(v) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2022 जो 7 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5167(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(vi) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2022 जो 21 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5401(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(ii) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2022-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2022-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3755 (अ), जो 10 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि गोवा और त्रिपुरा की स्थापना राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में शामिल होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) कंगचुप एरिया ट्राइबल वुमेन सोसाइटी, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कंगचुप एरिया ट्राइबल वुमेन सोसाइटी, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पीपुल विद हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पीपुल विद हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(एक) भारतीय बाल फिल्म सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय बाल फिल्म सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री निहाल चन्द चौहान ने प्राक्कलन समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2022-23) का अठारहवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और कार्य-निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2022-23) का उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(3) 'खेलो इंडिया योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

5. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार ने '2019 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 5 के आधार पर एनएमडीसी लिमिटेड का प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन' के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा पेट्रोल एवं गैस एजेंसियों (सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी आदि) और अन्य संबंधित एजेंसियों/इकाइयों का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आबंटन की स्थिति' विषय के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ रोके जाने से संबंधित मामलों के विशेष संदर्भ में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों का अध्ययन' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जय प्रकाश ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा - पूरे देश में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता' विषय के बारे में समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

8. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - एक मूल्यांकन' विषय के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और पशु-टीकों की उपलब्धता' विषय के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

(5) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(6) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(7) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(8) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

9. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 26वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चालीसवां प्रतिवेदन।

11. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राम मारगनी भरत ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के संरक्षण के लिए विनियामक ढांचे का सृजन' के बारे में समिति के 311वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 333वां प्रतिवेदन।

(2) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 334वां प्रतिवेदन।

(3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 316वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 335वां प्रतिवेदन।

(4) 'नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में समिति के 322वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 336वां प्रतिवेदन।

12. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह ने 'मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन - एक मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

13. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह ने 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.09 बजे

15. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गिरावट - इसका प्रभाव और पुनरुद्धार के उपाय' के बारे में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 303वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गतिशीलता - ऑटोमोबाइल उद्योग में संभावनाएं और चुनौतियां' विषय के बारे में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 309वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कोविड-19 का प्रभाव और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उनके द्वारा की गई पहलों' के बारे में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की

मांगों (2022-23) पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.10 बजे

16. कॅयर बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नारायण राणे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि कॅयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ड़) और नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से,जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए कॅयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

17. संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए विधेयक - प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अमित शाह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य, अर्थात्:- *बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022*

1. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
4. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
5. श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस
6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7. डॉ. निशिकांत दुबे
8. श्रीमती सुनीता दुग्गल
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्रीमती जसकौर मीना
11. श्री राम कृपाल यादव
12. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
13. श्री सुरेश कोडिकुन्नील

14. श्री मनीश तिवारी
15. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
16. श्री कल्याण बनर्जी
17. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
18. श्री हेमन्त श्रीराम पाटिल
19. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
20. श्री चंद्र शेखर साहू
21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगी; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इसके सभापति के रूप में नियुक्त करें।

सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराह्न 12.15 बजे**

18. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मनोज कुमार तिवारी ने झारखण्ड में स्थित सम्मेद शिखरजी जैन तीर्थस्थल को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री जी.किशन रेड्डी[$] ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

19. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

---

* अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

$ संस्कृति मंत्री; पर्यटन मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री।

1) श्री रवि किशन द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
2) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को 'शहीद' (शहीद) का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
3) श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया द्वारा भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ी संख्या 12981/82 (जयपुर-असरवा) को चलाये जाने तथा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में ।
4) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बारे में ।
5) श्री दिलीप शइकीया द्वारा कोचिंग संस्थानों में छात्रों को होने वाली समस्याओं की जांच के लिए जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
6) श्री गणेश सिंह द्वारा सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
7) श्री रंजीतसिंन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर द्वारा माढ़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज में एक डेडीकेटेड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
9) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में आय संबंधी मानदंड की आवश्यकता को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
10) श्री राजू बिष्ट द्वारा उत्तर पूर्व परिषद में दार्जिलिंग हिल्स तराई और दोआर्स क्षेत्र को शामिल किए जाने के बारे में ।
11) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा गिग वर्करों के अधिकारों को और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
12) प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया द्वारा इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दिबियापुर विधान सभा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय को स्थायी विद्यालय भवन में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
13) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले में तेलहर कुंड के जल को जगदहवा बांध तक पहुंचाने के लिए सिंचाई परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
14) डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाए जाने के बारे में ।
15) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा के कोरापुट जिले में बंशधारा नदी पर बहुउद्देशीय बांध एवं पनबिजली परियोजना का निर्माण किए जाने के बारे में ।
16) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के बारे में।
17) श्री एंटो एंटनी द्वारा रबर बोर्ड के कृत्यों को कम करने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने के बारे में ।
18) श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा अराकोन्नम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में ।
19) श्री एस. ज्ञानतिरावियम द्वारा तमिलनाडु में तिरुनेलवेली रेलवे जंक्शन के उन्नयन के बारे में ।
20) श्री एन. रेड्डप्प द्वारा तिरुपति पश्चिम रेलवे स्टेशन के पास सड़क परियोजना के बारे में ।

21) श्री खलीलुर रहमान द्वारा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का निर्माण किए जाने के बारे में ।

22) श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा ठाणे रेलवे स्टेशन पर जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

23) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में 'वन नेशन वन पावर टैरिफ' नीति लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री के. सुब्बारायण द्वारा बैंकों के एटीएम बूथों में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति के बारे में ।

25) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम बंदरगाह पर आप्रवासन सुविधाओं के प्रावधान के बारे में ।

26) डॉ. एस. लोरहो फोज द्वारा हृदय वाल्व रोग से पीड़ित रोगियों के लिए उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी तक की पहुंच के बारे में ।

अपराह्न 2.03 बजे

20. ध्यानाकर्षण - नियम 193 के अधीन अल्पावधि चर्चा में परिवर्तित

अनुमेय समय: 02 घंटे
लिया गया समय: 04 घंटे 31 मिनट

अध्यक्ष ने टिप्पणी[&] की कि कुछ सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोध और देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, ध्यानाकर्षण को नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा में परिवर्तित किया जा सकता है ताकि अधिक सदस्य चर्चा में भाग ले सकें।

सभा सहमत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
2. डॉ. सत्य पाल सिंह
3. श्री गुरजीत सिंह औजला
4. डॉ वीरास्वामी कलानिधि
5. श्री कल्याण बनर्जी
6. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
7. श्री महाबली सिंह
8. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
9. श्री अच्युतानंद सामंत
10. कुंवर दानिश अली
11. श्री विनायक भाऊराव राऊत

[&] अपराह्न 12.14 बजे की गई।

12. श्री हैबी ईडन
13. श्री विष्णु दयाल राम
14. श्री प्रिंस राज
15. श्री हसनैन मसूदी
16. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
17. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
18. श्री संतोख सिंह चौधरी
19. श्री बी. बी. पाटील
20. श्री असादुद्दीन ओवैसी
21. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
22. श्री हनुमान बेनीवाल
23. श्रीमती नवनित रवि राणा
24. श्री राम कृपाल यादव
25. श्री जसबीर सिंह गिल
26. श्री थोमस चाज़िकाडन
27. श्री एस. वेंकटेशन
28. सरदार सिमरनजीत सिंह मान
29. श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.33 बजे

(लोक सभा बुधवार, 21 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 21 दिसम्बर, 2022/ 30 अग्रहायण, 1944 (शक)

संख्या 203

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में रखे गए तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 220 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तरों के साथ आज के लिए आधिकारिक प्रतिवेदन में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) भारतीय राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) बीरबल साहनी पुरविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुरविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) इंडियन एसोशिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोशिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन वैक्सिंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरूग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सिंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरूग्राम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूरू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(दो) इस्पात मंत्रालय तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(तीन) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(चार) इस्पात मंत्रालय तथा एनएमडीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(पांच) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती का तरीका, नियुक्ति की प्रक्रिया,पदावधि, त्यागपत्र और हटाया जाना) (संशोधन) नियम, 2022, जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कोमोडिटीज) (संशोधन) नियम, 2022, जो 30 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 859(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेः-

(1) (एक) 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3722(अ) जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए मैसर्स कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसएमसीएल) को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.4038(अ) जो 29 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'कैटगरी ए एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.4596(अ) जो 29 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'कैटगरी 'ए' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स जियो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग साल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड, 'कैटगरी 'बी' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स जियो मैरिन साल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड तथा 'कैटगरी 'ए' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स इकोमेन लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड अधिसूचित किए गए हैं।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई और उसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(7) (एक) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा केंद्रीय भण्डारण निगम के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भंडारण विकास तथा विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भंडारण विकास तथा विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नललिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार-राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) (2022 का संख्यांक 14) - सबका विश्वास (लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) योजना 2019।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रेल) - (2022 का संख्यांक 22) - 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में डिरेलमेंट निष्पादन लेखापरीक्षा।

(3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रेल) - (2022 का संख्यांक 23) - रेल वित्त।

(4) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 25) खंड-एक - (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (रक्षा सेवाएं) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (2022 का संख्यांक 28) (निष्पादन लेखापरीक्षा) - डीआरडीओ में मिशन मोड परियोजनाओं का प्रबंधन और परिणाम।

(6) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - राजस्व विभाग -प्रत्यक्ष कर - (2022 का संख्यांक 29)।

(7) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 30) - (राजस्व विभाग - सीमाशुल्क) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(8) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 31) (वित्त लेखापरीक्षा) - वर्ष 2020-2021 के लिए संघ सरकार के लेखे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्स्पोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्स्पोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) (एक) इंडियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) (एक) मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(7) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) (एक) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ईसीजीसी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईसीजीसी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 1 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का. आ. 4720(अ), जो 4 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (अनुषंगी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 जो 28 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 794(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) हथकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4(ख) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4904(अ), जो 17 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 29 सितंबर, 2022 से दो साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का पुनर्गठन करना है तथा जिसमें, उसमें उल्लिखित अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव शामिल होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) कार्पेट निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्पेट निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.5282(अ), जो 14 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को विस्फोटक नियम, 2008 के सभी उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.4091(अ), जो दिनांक 1 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लुगदी, कागज और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद की स्थापना की गयी है तथा इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त परिषद के सदस्यों के रूप में उनमें उिल्लखित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, जो 22 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. आरजी-1/2/(2)/2022-बी एंड सीएस (2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 जो 18 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.635(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलूरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलूरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 27)-केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन संबंधी वित्तीय प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(दो) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 33)- अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(2) वर्ष 2021-2022 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण-केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन पर वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2022-23) का पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2022-23) का सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'बीएसएनएल और एमटीएनएल में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) का अठारहवां प्रतिवेदन।

4. सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का 99वां, 100वां और 101वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों सहित भारत और अंतर्राष्ट्रीय विधि, शरण संबंधी मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दे' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रोड़मल नागर ने 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने कार्य मंत्रणा समिति का अड़तीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील) ने ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) की ओर से निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने रेल मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) की ओर से निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार तंत्र की समीक्षा' के बारे में विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

1) श्री आर के सिंह पटेल द्वारा अयोध्या से चित्रकूट तक 'राम गमन मार्ग' के निर्माण के बारे में।
2) श्री संजय सेठ द्वारा आजाद हिंद फौज के सिपाही लेफ्टिनेंट बाणेश्वर राय की सेवाओं को मान्यता देने और उनके परिवार को पर्याप्त सरकारी हितलाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
3) श्री तपन कुमार गोगोई द्वारा असम में सिबसागर से सोनारी तथा नामटोला से सपेखाती तक सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकास के बारे में।
4) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान शुरू की गई विशेष रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और आम जनता के लिए रेलवे टिकट के किराए में रियायत को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
5) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकास के लिए स्वीकृति की आवश्यकता के बारे में ।
6) श्री सुरेश पुजारी द्वारा बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के झारसुगुडा जिले में पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाली एक निजी कंपनी की केंद्रीय टीम द्वारा जांच किये जाने के बारे में ।
7) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ में 'हर घर नल से जल' योजना के कार्यन्वयन में अनियमितता के बारे में।
8) श्री होरेन सिंग बे द्वारा स्वायत्तशासी राज्यों की मांग के बारे में।
9) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा ओडिशा के नुआपड़ा जिले में अपर जोंक सिंचाई परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दिए जाने के बारे में ।

10) डॉ ढाल सिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश में बालाघाट एवं सिवनी जिले के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी के बारे में ।

11) श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल द्वारा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में सड़कों का निर्माण किए जाने के बारे में।

12) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिल्ली-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्विस लेन की व्यवस्था के बारे में ।

13) डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा धौलपुर जिले के राजाखेड़ा से उत्तर प्रदेश के इटावा तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की आवश्यकता के बारे में ।

14) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा सीमा पार से तस्करी पर निगरानी बढ़ाने के लिए बिहार के अररिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और केंद्रीय पुलिस बलों की इकाइयों को तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

15) श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा कन्याकुमारी जिले में पर्यटन के विकास के बारे में।

16) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ में दल्ली रजहारा-जगदलपुर-रावघाट रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

17) डॉ. शशि थरूर द्वारा केरल में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के सेवन में वृद्धि के बारे में।

18) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय लघु फसल अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के बारे में ।

19) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू द्वारा आंध्र प्रदेश के राजका समुदाय को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किए जाने के बारे में।

20) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा कृषि आपदा प्रतिकर निधि की स्थापना के बारे में।

21) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा बर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोलर सबमर्सिबल वाटर पंपों को लगाने के बारे में ।

22) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सृजन के बारे में।

23) श्री विनायक राऊत द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों की आय सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

24) श्री महाबली सिंह द्वारा सहारा इंडिया समूह में निवेश करने वाले लोगों की जमा राशि की वापसी के बारे में।

25) एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ द्वारा ईपीएफ पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन की स्वीकृति के बारे में।

26) श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा निर्माण क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के कौशल विकास के बारे में।

अपराह्न 12.09 बजे

10. सांविधिक संकल्प

(एक) श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 25/2022-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 [सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि विमानन टरबाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को संशोधित किया जा सके।"

संकल्प पर मतदान हुआ और स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 49/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 8 सितंबर, 2022 [सा.का.नि. 689(अ) दिनांक 8 सितंबर, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि चावल की विनिर्दिष्ट क़िस्मों पर निर्यात शुल्क उद्गृहीत किया जा सके।"

संकल्प पर मतदान हुआ और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 07 घंटे 13 मिनट

देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा 20 दिसंबर, 2022 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
2. श्रीमती सुनीता दुग्गल
3. श्री गौरव गोगोई
4. डॉ. एस.टी. हसन
5. श्री मनोज कुमार तिवारी
6. श्री रितेश पाण्डेय
7. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
8. श्री बैन्नी बेहनन
9. श्री दिलीप शइकीया
10. प्रो. सौगत राय
11. *श्री सोम प्रकाश
12. श्री राहुल रमेश शेवाले
13. श्री पी. रविन्द्रनाथ
14. श्री जगदम्बिका पाल
15. श्री के. राम मोहन नायडू
16. श्री रतन लाल कटारिया
17. श्री राजमोहन उन्नीथन
18. श्री जुगल किशोर शर्मा
19. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
20. डॉ अमर सिंह

* वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

21. डॉ राजदीप राय

22. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील

[@]श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

तत्पश्चात अध्यक्ष ने सभा की ओर से मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या के बारे में एक संकल्प[$] किया।

अपराह्न 2.57 बजे

12. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा के संशोधन - स्वीकृत हुए।

[*]*संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022*

विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री अर्जुन मुंडा द्वारा पेश किया गया।

<u>पहली अनुसूची</u>

1. पृष्ठ 3, पंक्ति 5, में "संत रविदास नगर" शब्दों ***<u>के स्थान पर</u>*** "भदोही" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>दूसरी अनुसूची</u>

2. पृष्ठ 4, पंक्ति 5, में "संत रविदास नगर" शब्दों ***<u>के स्थान पर</u>*** "भदोही" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधन स्वीकृत हुए।

[@] गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री

[$] मूल हिंदी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखे।

[*] विधेयक को लोक सभा द्वारा 1 अप्रैल, 2022 को पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्य सभा ने 14 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन लोक सभा को लौटाया।

अपराह्न 3.00 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवा संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 03 घंटे 14 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. श्री दीपक बैज
2. श्री अरुण साव
3. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
6. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्री गिरीश चन्द्र
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
11. श्री सुनील कुमार सोनी
12. श्री विनसेंट एच. पाला
13. श्री कनि के. नवास
14. श्री हसनैन मसूदी
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
17. श्रीमती गोमती साय
18. श्री फ्रांसिस्को कोस्मे सर्दिन्हा
19. श्री चुन्नी लाल साहू
20. श्री अधीर रंजन चौधरी
21. श्री राहुल रमेश शेवाले
22. डॉ. निशिकांत दुबे
23. श्री मलूक नागर

24. श्री संतोष पान्डेय
25. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
26. श्री गुमान सिंह दामोर

श्री अर्जुन मुंडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को खंड-वार विचार करने के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

[#]सायं 6.45 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[#] सायं 6.14 बजे से सायं 6.45 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022/ 1 पौष, 1944 (शक)

संख्या 204

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री कृष्णमराजू, बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा के सदस्य; श्री धनिक लाल मंडल, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य; श्री फूलचंद वर्मा, पांचवीं से सातवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य; श्री गडाख तुकाराम गंगाधर, चौदहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री टी. राधाकृष्णन, सोलहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री मोहन जेना, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सोलहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी[@]

अध्यक्ष ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के पुनः बढ़ते मामलों के बारे में टिप्पणी की और सदस्यों से कोविड मानदंडों का पालन करने के लिए अनुरोध किया।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी[@]

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

[@] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221 को लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई

और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702(अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) नियम, 2015 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) (एक) रेलवे संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेलवे संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एयरपोर्ट्स इकॉनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरपोर्ट्स इकॉनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 3252 (अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का. आ. 3275 (अ) जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का. आ. 3644 (अ) जो 3 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चार) का. आ. 3645 (अ) जो 3 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का. आ. 3724 (अ) जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(छह) का. आ. 3725 (अ) जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(सात) का. आ. 3851 (अ) जो 17 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का. आ. 3853 (अ) जो 17 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का. आ. 3854 (अ) जो 17 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मिजोरम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दस) का. आ. 4088 (अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का. आ. 4346 (अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का. आ. 4348 (अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का. आ. 4435 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का. आ. 4438 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का. आ. 4611 (अ) जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का. आ. 4743 (अ) जो 6 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का. आ. 4911 (अ) जो 17 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का. आ. 5247 (अ) जो 11 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का. आ. 5427 (अ) जो 22 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का. आ. 5435 (अ) जो 22 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का. आ. 5572 (अ) जो 1 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(6) उपर्युक्त (5) की मद सं. (एक) से (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 3274 (अ) जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दो) का. आ. 3643 (अ) जो 3 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का. आ. 3852 (अ) जो 17 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चार) का. आ. 4087 (अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का. आ. 4347 (अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जिसके द्वारा 29 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 5566(अ) को निरस्त किया गया है।

(छह) का. आ. 4352 (अ) जो 16 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(सात) का. आ. 4436 (अ) जो 20 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का. आ. 4437 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का. आ. 5426 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दस) का. आ. 5662 (अ) जो 5 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का. आ. 5714 (अ) जो 8 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का. आ. 5715 (अ) जो 8 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का. आ. 5716 (अ) जो 8 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(8) उपर्युक्त (7) की मद सं. (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पावर सिस्टम डवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (संशोधन) नियम, 2022 जो 9 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विनियामक फोरम (संशोधन) नियम, 2022 जो 9 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 जो 28 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 852(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते (संशोधन) नियम, 2022 जो 29 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(5) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो-दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो-दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(8) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), इन्दौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), इन्दौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल), जालंधर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल), जालंधर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) मैसर्स बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता की वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मैसर्स बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्मित, प्रचालन करने या उनका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./2-एनजीपीएल(08)/2022 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2019 खंड-चार (पी-4121) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2008 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/ टैरिफ(3)/2019 खंड-चार (पी-4121) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण) संशोधन विनियम, 2022 जो 2 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-3264) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी /तक./10-क्षमता/एनजीपीएल और पीपीपीएल/(2)/2022 (पी-3745) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2019 खंड-चार (पी-4121) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) फ्यूल टेस्टिंग लैबोरेट्री, सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लैबोरेट्री (रजि.), नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्यूल टेस्टिंग लैबोरेट्री, सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लैबोरेट्री (रजि.), नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत 'तेल विपणन कंपनियों में एमएस, एचएसडी तथा एलपीजी की आपूर्ति लॉजिस्टिक प्रचालन' के बारे में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (2022 का संख्यांक 13) - निष्पादन लेखापरीक्षा।

(6) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली की वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(7) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) - केन्द्रीय सरकार - (वाणिज्यिक) - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (2022 का संख्यांक 34) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा**)** ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरूग्राम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरूग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

7. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2022 के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2022 के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि 21 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर सभाओं की संयुक्त समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किए जाने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामो की सूचना भी दी:

1. श्री घनश्याम तिवाड़ी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
3. श्री धनंजय भीमराव महादिक

4. श्री रामचंद्र जांगड़ा
5. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल
6. श्री सुखेन्दु शेखर राय
7. श्री एन.आर. इलांगो
8. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी
9. श्री सुरजीत कुमार
10. श्री एस. निरंजन रेड्डी

(चार) कि 21 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2022, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

8. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चंद्र शेखर साहू ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 74 वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा)।

(2) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 75 वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा)।

(3) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 76 वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा)।

(4) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 77 वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा)।

(5) 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 78 वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा)।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती नवनित रवि राणा ने 'विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-2023)' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 12 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (17 वीं लोक सभा) का 19 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने 'बिग टेक कंपनियों के प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार' विषय के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 53 वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती जसकौर मीना ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 11 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 13 वां प्रतिवेदन (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला का आयात - रुझान और आत्मनिर्भरता का मुद्दा' विषय के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 37 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मलूक नागर ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) विधायी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 114 वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 124 वां प्रतिवेदन।

(2) विधि कार्य विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 115 वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 125 वां प्रतिवेदन।

14. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(एक) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियम/ विनियम आदि बनाए जाने तथा नियमों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब की स्थिति संबंधी 24 वां प्रतिवेदन।

(दो) विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा स्कंध (समूह 'क' पद क्षेत्रीय भाषाएं) भर्ती नियम, 2020 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 13 वें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25 वां प्रतिवेदन ।

अपराह्न 12.07 बजे

15. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) ने 'बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना' के बारे में श्री नामा नागेश्वर राव, संसद सदस्य के तारांकित प्रश्न सं. 144 के अनुपूरक प्रश्न के 16 दिसम्बर, 2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 12 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग संख्या 46) के बारे में विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 134 वें और 140 वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग संख्या 47) के बारे में विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 135 वें और 141 वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(4)* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) ने कोविड वैश्विक महामारी और विश्व में उभरते कोविड परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे स्वप्रेरणा से वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 2.03 बजे से अपराह्न 2.08 बजे तक दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

16. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 21 दिसम्बर, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 38 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले

1) श्री नितेश गंगा देब ने ओडिशा में झारसुगुड़ा हवाई अड्डे से उड़ानों के संचालन के बारे में मामला उठाया।

2) डॉ. निशिकांत दुबे ने गोड्डा / देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

3) डॉ. अशोक कुमार यादव ने सीतामढ़ी-लौकही रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

4) श्री नरेन्द्र कुमार ने सैनिक एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 14021/22) को पर्याप्त सवारी डिब्बों के साथ चलाने और राजस्थान के बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस को ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

5) श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने जल भण्डारण क्षमता वाले तालाबों एवं प्राकृतिक स्थलों के जीर्णोद्धार के बारे में मामला उठाया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 4.00 बजे

6) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी ने मुंबई, महाराष्ट्र के सड़कों को चौड़ा किए जाने के लिए विकास योजना के बारे में मामला उठाया।

7) श्री मनसुखभाई डी. वसावा ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के व्यवसाय में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

8) श्री राजीव प्रताप रूडी ने अन्य राज्यों में बिहार के प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के बारे में मामला उठाया।

9) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि उपज के भण्डारण हेतु पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर भण्डार गृह स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

10) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने गुजरात में भीलडी-समदारी रेलवे खंड पर समपार सं बी/159 पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

11) श्री बृजेन्द्र सिंह ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों के बारे में मामला उठाया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.13 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 4.30 बजे

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

1) श्रीमती गोमती साय द्वारा छत्तीसगढ़ में भूपदेवगढ़ से धरमजयगढ़ तथा धरमजयगढ़ से रायपुर तक रेल सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा गया से डाल्टनगंज तक रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) श्रीमती रमा देवी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर, जोधपुर और कोटा में सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों की निगरानी करने के लिए एक अपर निदेशक की नियुक्ति के बारे में।

5) श्री गौरव गोगोई द्वारा चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में।

6) श्री के. मुरलीधरन द्वारा केरल में बफर जोन में मानव बस्तियों पर प्रारंभिक उपग्रह सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में।

7) श्री बालूभाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण द्वारा एमएसएमई विलंबित भुगतान अधिनियम, 2016 के तहत किए गए भुगतान के बारे में।

8) डॉ. डी. रविकुमार द्वारा भारतीय रेलवे के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतन ढांचे के उन्नयन के बारे में।

9) श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से प्राप्त होने वाले बिजली के बकायों के बारे में।

10) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा आयुध कारखानों से बनाई गई कंपनियों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार में जहानाबाद रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त ऋण देने की आवश्यकता के बारे में।

13) श्री बी. बी. पाटील द्वारा हैदराबाद में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्वीकृति के बारे में।

14) श्रीमती वीणा देवी द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्टेडियम को विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 4.31 बजे

18. सरकारी विधेयक- *पुर:स्थापित*

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022

अपराह्न 4.36 बजे

19. संयुक्त समिति को सौंपने के लिए विधेयक - प्रस्ताव स्वीकृत

श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:- *जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022*

"कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास-आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए छोटे अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य, अर्थात्:-

1. श्री पी.पी.चौधरी
2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री संजय सेठ
5. श्रीमती क्वीन ओझा
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
8. श्रीमती पूनम प्रमोद महाजन
9. श्रीमती अपराजिता सारंगी
10. श्री अरविन्द धर्मापुरी
11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
12. श्री रतन लाल कटारिया
13. श्री गौरव गोगोई

14. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
15. श्री ए.राजा
16. प्रो. सौगत राय
17. डॉ. वेकट सत्यवथी बीसेट्टी
18. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
19. श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह
20. श्री पिनाकी मिश्रा
21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

विधेयक को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.40 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022/ 2 पौष, 1944 (शक)

संख्या 205

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के दसवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

2. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।